www.dhyeyaias.com

अप्रैल 2021 | अंक 01

# PERFECT 7

## साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

## 1 इलेक्टोरल बॉन्ड

### राजनीतिक फंडिंग में अपारदर्शिता बरकरार ?

2 किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण संशोधन विधेयक, 2021)

3 गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2021

4 भारत-पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम के मायने

5 स्वास्थ्य के अधिकार को सुनिश्चित करने की आवश्यकता

6 वैश्विक जल संकट रिपोर्ट, 2021 : एक अवलोकन

7 भारतीय शहरों में अग्नि सुरक्षा प्रणाली एवं उससे संबद्ध मुद्दे

ध्येयIAS
most trusted since 2003

ध्येय IAS most trusted since 2003

PERFECT 7 Weekly Current Affairs

# ध्येय IAS : एक परिचय

**विनय कुमार सिंह**
**संस्थापक एवं सी.ई.ओ.**

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

**क्यू. एच. खान**
**प्रबंध निदेशक**

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

# Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

# प्रस्तावना

हमने 'PERFECT 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'PERFECT 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'PERFECT 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'PERFECT 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय IAS

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने 'PERFECT 7' पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 'PERFECT 7' पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त 'PERFECT 7' पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय IAS

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

www.dhyeyaias.com

# PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

अप्रैल 2021 | अंक 01

## ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ. — विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक — क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक — कुरबान अली
प्रबंध संपादक — आशुतोष सिंह
संपादक — जीत सिंह, अवनीश पाण्डेय, ओमवीर सिंह चौधरी, रजत झिंगन
संपादकीय सहयोग — प्रो. आर. कुमार
मुख्य लेखक — अजय सिंह, अहमद अली, स्वाती यादव, स्नेहा तिवारी
लेखक — अशरफ अली, गिरराज सिंह, हरिओम सिंह, अंशुमान तिवारी
समीक्षक — रंजीत सिंह, रामयश अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास — संजीव कुमार झा, पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति — गुफरान खान, राहुल कुमार
प्रारूपक — कृष्ण कुमार, कृष्णकांत मंडल, मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक — हरीराम, राजू यादव

Content Office

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

## विषय सूची

7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्न 01–14
- इलेक्टोरल बॉन्ड : राजनीतिक फंडिंग में अपारदर्शिता बरकरार?
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण संशोधन विधेयक, 2021)
- गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2021
- भारत-पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम के मायने
- स्वास्थ्य के अधिकार को सुनिश्चित करने की आवश्यकता
- वैश्विक जल संकट रिपोर्ट, 2021 : एक अवलोकन
- भारतीय शहरों में अग्नि सुरक्षा प्रणाली एवं उससे संबद्ध मुद्दे

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स 15–21

7 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित) 22–23

7 महत्वपूर्ण खबरें 24–28

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 29

7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु) 30

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध एवं उत्तर लेखन के लिए उपयोगी) 31

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali (Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

# 7 महत्वपूर्ण मुद्दे

## 01 इलेक्टोरल बॉन्ड : राजनीतिक फंडिंग में अपारदर्शिता बरकरार?

### चर्चा का कारण

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में राज्य विधानसभा चुनावों से पहले नए चुनावी बांड की बिक्री पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। गौरतलब है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ 2018 से कानूनी लड़ाई लड़ रहे एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका में कहा गया था कि इस माध्यम से राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे का स्रोत पता नहीं चलता। कॉरपोरेट कंपनियों से मिलने वाला यह गुप्त दान लोकतंत्र के लिए भी नुकसानदेह है।

### इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है?

- वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) शुरू करने का ऐलान किया गया था। इसके बाद चुनावी फंडिंग व्यवस्था में सुधार करने के लिए सरकार ने 2 जनवरी, 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की थी। सरकार ने फाइनेंस एक्ट-2017 के जरिये पांच बड़े कानूनों में बदलाव करके इस स्कीम को लाया था, जिसमें RBI एक्ट 1934 की धारा-31, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा- 29C, आयकर अधिनियम 1961 की धारा-31A, कंपनी एक्ट 2013 की धारा 182 और विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम 2010 की धारा 2(1) शामिल हैं।
- एक व्यक्ति, लोगों का समूह या एक कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करने वाले महीने के 10 दिनों के भीतर एसबीआई की निर्धारित शाखाओं से चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। जारी होने की तिथि से 15 दिनों की वैधता वाले बॉन्ड 1000 रुपए, 10000 रुपए, एक लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के गुणकों में जारी किए जाते हैं। ये बॉन्ड नकद में नहीं खरीदे जा सकते और खरीदार को बैंक में केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) फॉर्म जमा करना होता है। राजनीतिक दल एसबीआई में अपने खातों के जरिए बॉन्ड को भुना सकते हैं। यानी ग्राहक जिस पार्टी को यह बॉन्ड चंदे के रूप में देता है वह इसे अपने एसबीआई के अपने निर्धारित एकाउंट में जमा कर भुना सकता है। पार्टी को नकद भुगतान किसी भी दशा में नहीं किया जाता और पैसा उसके निर्धारित खाते में ही जाता है। गौरतलब है कि मार्च 2018 से जनवरी 2021 के बीच पंद्रह चरणों में 6534.78 करोड़ रुपये के कुल 12,924 चुनावी बांड बेचे गए हैं।

### इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध क्यों?

- चुनावी बॉन्ड दान करने वाले दानदाताओं को प्रदान की जाने वाली गुमनामी यहां विवाद का बिंदु है। वित्त अधिनियम 2017 में संशोधन के माध्यम से, केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त दान का खुलासा करने से छूट दी है। दूसरे शब्दों में, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से योगदान करने वालों के विवरण

का खुलासा नहीं करना पड़ता है। इसका मतलब है कि मतदाता यह नहीं जान पाएंगे कि किस व्यक्ति, कंपनी या संगठन ने किस पार्टी को, और किस हद तक धन दिया है। गौरतलब है कि साल 2003 में सरकार ने व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट चुनावी फंडिंग को पूरी तरह से टैक्स-फ्री बना दिया था । साथ ही ये भी प्रावधान कर दिया कि 20 हजार रुपए से कम की राशि कैश के जरिये चंदे के तौर पर दी जा सकती है और उसमें दानकर्ता की पहचान बताने की जरूरत नहीं थी। इस कारण चुनावी फंडिंग की प्रक्रिया और भी विवादित हो गयी।

- चुनावी बॉण्ड के जरिये राजनीतिक दलों को 1045 करोड़ रुपए का जो चंदा दिया गया, उसमें से लगभग 95 फीसद चंदा एक विशेष राजनीतिक पार्टी के खाते में गया है। लिहाजा, इस बात की आशंका जताई जा रही है कि भले ही जनता इस बात से अंजान हो कि किस कंपनी ने किस दल को चंदा दिया है। लेकिन राजनीतिक दल अंदरूनी तौर पर इनके नामों से वाकिफ होते हैं। इसके अलावा दानकर्ता और चन्दा प्राप्त करने वाली पार्टी दोनों ही RBI को रिपोर्ट करते हैं जो कि किसी-न-किसी रूप में केंद्र सरकार के अधीन है। ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टी के लिए यह पता लगाना आसान होगा कि किन कंपनियों ने विपक्षी दलों को चंदा दिया है और फिर ये कंपनियाँ बदले की भावना का शिकार हो सकती हैं।
- कुछ लोगों का मानना है कि बॉण्ड खरीदने वाले की जानकारी गुप्त रखे जाने से यह प्रयास अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पायेगा और राजनीति में भ्रष्टाचार बना रहेगा। चुनावी सुधारों पर विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट में भी कहा गया है कि चुनावी फंडिंग में अपारदर्शिता बड़े दानदाताओं द्वारा सरकार को 'कैप्चर' करने जैसा है। राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता जितनी कम होगी, कॉर्पोरेट घरानों के लिये उतना ही आसान होगा कि वे जो बात चाहें सरकार से मनवा सकें।
- आलोचकों का मानना है कि बांडों की बिक्री और खरीद की सुविधा के लिए एसबीआई कमीशन प्राप्त करती है। एसबीआई जो कमीशन प्राप्त करती है उसका भुगतान केंद्र सरकार द्वारा करदाताओं के पैसे से किया जाता है। इसके अतिरिक्त करदाता दान के स्रोत के बारे में हमेशा ही अंधेरे में रहता है। इसके अलावा बॉण्ड में बरती गई गोपनीयता से कॉर्पोरेट हाउसों को फायदा होगा, क्योंकि इसमें बॉण्ड प्राप्त करने वाले राजनैतिक दलों के नाम का खुलासा नहीं करने का प्रावधान है। ऐसे में राज्य की सरकारी नीतियों में कॉर्पोरेट के निजी हित को प्राथमिकता मिल जायेगा और आम जनता का हित पीछे रह जायेगा।
- चंदा देने वाली की गोपनीयता और राजनीतिक फंडिंग में अपारदर्शिता बनी रहती है और यह सब चुनाव आयोग की जांच के दायरे से भी बाहर है। केवाईसी होने के बाद भी चंदा देने वाले के बारे में सिर्फ बैंक या सरकार को जानकारी हो सकती है, चुनाव आयोग या किसी आम नागरिक को नहीं।

## चुनावी बॉन्ड पर चुनाव आयोग का क्या रुख है?

- चुनाव आयोग ने कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति को मई 2017 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें उसने जनप्रतिनिधि (आरपी) अधिनियम में संशोधनों पर आपत्ति जताई थी। गौरतलब है कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29 सी में बदलाव करते हुए कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा हासिल चंदों को चुनाव आयोग की जांच के दायरे से बाहर रखा जाएगा। चुनाव आयोग ने इसे 'प्रतिगामी कदम' (retrograde step) बताया है। कानून मंत्रालय को लिखे एक पत्र में चुनाव आयोग ने सरकार से उपरोक्त संशोधन पर 'पुनर्विचार' और 'संशोधित' करने के लिए भी कहा था।

## आगे की राह

- भारतीय लोकतंत्र में चुनाव को साफ-सुथरा और पारदर्शी बनाना हमेशा ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। यही कारण है कि चुनाव आयोग के साथ-साथ विधि आयोग भी समय-समय पर जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 में संशोधन की सिफारिश करता रहा है। बावजूद इसके पारदर्शिता के नाम पर सरकार का हर प्रयास अधूरा ही साबित हुआ है। चुनावी बॉण्ड में सुधार करते हुए गोपनीयता के कायदे-कानून में सुधार करना चाहिए ताकि यह पता चल सके कि कौन सी पार्टी किस जगह से पैसा जुटाती है और उसको दान देने वाले लोग कौन हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि चुनावी बॉण्ड संबंधित जानकारी न केवल चुनाव आयोग तक सीमित रहे, अपितु सामान्य मतदाताओं को भी पता हो। साथ ही राजनीतिक दलों को RTI के तहत लाया जाना चाहिये।

**सामान्य अध्ययन पेपर-2**

**Topic:**

- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं।

**प्र.** भारतीय लोकतंत्र में चुनावी बॉन्ड योजना समय समय पर चर्चा में रहती है, आलोचकों का मानना है कि यह बॉन्ड चुनाव को साफ-सुथरा और पारदर्शी नहीं बनाती। ऐसे में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिये।

# 02 किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण संशोधन विधेयक, 2021)

## चर्चा का कारण

- हाल ही में लोकसभा ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 को मंजूरी दे दी है, जिसमें बच्चों से जुड़े मामलों का तेजी से निस्तारण सुनिश्चित करने, जवाबदेही बढ़ाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त शक्तियां देकर सशक्त बनाया गया है। गौरतलब है कि यह विधेयक किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में संशोधन करता है।

## आवश्यकता क्यों ?

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights- NCPCR) के द्वारा वर्ष 2020 में बाल देखभाल संस्थानों (Child Care Institutions-CCIs) का ऑडिट किया गया था, जिसमें पाया गया कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में संशोधन के बाद भी 90% बाल देखभाल संस्थानों का संचालन एनजीओ (NGOs) द्वारा किया जा रहा है तथा 39% बाल देखभाल संस्थान पंजीकृत नहीं थे।
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के ऑडिट में पाया गया कि लड़कियों हेतु सीसीआई (Child Care Institutions- CCIs) की संख्या 20 प्रतिशत से भी कम है जिनमें, 26 प्रतिशत बाल कल्याण अधिकारियों की अनुपस्थित है। इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों में तो लड़कियों हेतु सीसीआई स्थापित ही नहीं किये गए हैं।
- इसके अलावा, 3/5 शौचालय, 1/10 में पीने का पानी और 15 प्रतिशत घरों में अलग-अलग बेड के प्रावधान नहीं हैं। इसके साथ ही 1/10 में कोई आहार योजना (diet plans) नहीं थी। एक-चौथाई सीसीआई ने सरकार को बताया कि बाल कल्याण अधिकारी द्वारा इन संस्थानों का कभी निरीक्षण भी नहीं किया गया।

- कुछ मामलों में देखा गया है कि बाल देखभाल संस्थानों का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों के पुनर्वास के नाम पर सरकार से धन अर्जित करना रहा है।

## विधेयक में प्रमुख संशोधन

- **गंभीर अपराधः** गंभीर अपराधों में वे अपराध भी शामिल होंगे, जिनके लिए अधिकतम सजा 7 साल से अधिक की कैद है और न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं है या सात साल से कम है। गंभीर अपराध वे होते हैं जिनके लिए तीन से सात वर्ष तक की जेल की सजा दी जाती है।
- **गैर-संज्ञेय अपराधः** एक्ट में प्रावधान है कि जिस अपराध के लिए तीन से सात वर्ष की जेल की सजा है, वह संज्ञेय (जिसमें वॉरंट के बिना गिरफ्तारी की अनुमति होती है) और गैर जमानती होगा। विधेयक इसमें संशोधन करता है और प्रावधान करता है कि ऐसे अपराध गैरसंज्ञेय होंगे।
- **एडॉप्शन या गोद लेनाः** एक्ट में भारत और किसी दूसरे देश के संभावित दत्तक (एडॉप्टिव) माता-पिता द्वारा बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया निर्दिष्ट की गई है। संभावित दत्तक माता-पिता द्वारा बच्चे को स्वीकार करने के बाद एडॉप्शन एजेंसी सिविल अदालत में एडॉप्शन के आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन करती है। अदालत के आदेश से यह स्थापित होता है कि बच्चा एडॉप्टिव माता-पिता का है। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि अदालत के स्थान पर, जिला मेजिस्ट्रेट (अतिरिक्त जिला मेजिस्ट्रेट सहित) एडॉप्शन के आदेश जारी करेंगे। एक्ट के अनुसार, अगर विदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति भारत में अपने किसी संबंधी से बच्चा एडॉप्ट करना चाहता है तो उसे अदालत से एडॉप्शन का आदेश हासिल करना होगा। विधेयक इसमें संशोधन करता है कि इसके स्थान पर जिला मेजिस्ट्रेट को एडॉप्शन के आदेश जारी करने का अधिकार देता है।
- **अपीलः** बिल में प्रावधान है कि जिला मेजिस्ट्रेट के एडॉप्शन के आदेश से पीड़ित व्यक्ति आदेश दिए जाने के 30 दिनों के भीतर डिविजनल कमीशनर के सामने अपील

दायर कर सकता है। अपील दायर करने की तारीख से चार हफ्ते के अंदर उसे निपटाया जाना चाहिए।

- एक्ट में प्रावधान है कि अगर बाल कल्याण कमिटी यह निष्कर्ष देती है कि कोई बच्चा, देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाला बच्चा नहीं है, तो कमिटी के इस आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है। बिल इस प्रावधान को हटाता है।
- **बाल कल्याण कमिटी (सीडब्ल्यूसी):** एक्ट में प्रावधान है कि देखरेख एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के हित के लिए राज्य हर जिले में एक या एक से अधिक सीडब्ल्यूसी बनाएंगे।
- एक्ट सीडब्ल्यूसी के सदस्यों को नियुक्त करने के लिए कुछ मानदंड भी बनाता है, जैसे- (i) वह व्यक्ति कम से कम सात वर्षों तक बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण के कार्यों से जुड़ा रहा हो, या (ii) वह व्यक्ति बाल मनोविज्ञान, मनोरोग, कानून या सामाजिक कार्य की डिग्री वाला प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल हो।
- बिल सीडब्ल्यूसी के सदस्यों की नियुक्ति के लिए अतिरिक्त मानदंडों को निर्दिष्ट करता है। इसमें प्रावधान है कि कोई व्यक्ति सीडब्ल्यूसी का सदस्य बनने का पात्र नहीं है, अगर (i) उसका मानवाधिकार या बाल अधिकारों के उल्लंघन का कोई रिकॉर्ड हो, (ii) अगर उसे नैतिक अक्षमता (भ्रष्टता) से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और उस आरोप को पलटा न गया हो, (iii) उसे केंद्र सरकार, या राज्य सरकार, या सरकार के स्वामित्व वाले किसी उपक्रम से हटाया या बर्खास्त नहीं गया हो, या (iv) वह जिले के बाल देखभाल संस्थान में प्रबंधन का एक हिस्सा हो।
- **सदस्यों को हटाना:** विधेयक में इस बात का उल्लेख किया गया है कि यदि समिति का कोई व्यक्ति बिना किसी वैध कारण के तीन महीने तक लगातार CWCs की कार्यवाही में भाग नहीं लेता है या एक वर्ष के भीतर संपन्न बैठकों में उसकी उपस्थिति तीन-चौथाई से कम रहती है, तो उसे राज्य सरकार की जांच के बाद हटा दिया जाएगा।

## आगे की राह

- जानकरों का मानना है कि इस विधेयक से एडॉप्शन या गोद लेने की प्रक्रिया में बदलाव करके बच्चों के देखभाल और सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अब किशोरों के मामलों का तेजी से निपटारा हो सकेगा और जवाबदेही तय की जा सकेगी। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि डीएम को बहुत अधिक जिम्मेदारी दे दिए गए हैं और डीएम पर पहले से ही बहुत जिम्मेदारियां रहती हैं। ऐसे में यह डीएम के लिए चुनौती भरा हो सकता है। बावजूद इसके इस विधेयक के संशोधन का लक्ष्य साफ है कि समाज सतर्क रहें ताकि प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से बच्चों का संरक्षण किया जा सके।

**सामान्य अध्ययन पेपर-2**

**Topic:**

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याण कारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

**Topic:**

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

**प्र. बाल कल्याण समितियों को ज्यादा ताकत देने से बच्चों के बेहतर ढंग से संरक्षण में मदद मिल सकती है। चर्चा कीजिये।**

# 03 गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2021

## चर्चा का कारण

- हाल ही में संसद ने गर्भावस्था की चिकित्सा समापन (संशोधन) विधेयक, 2021 (Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill) को मंजूरी दी है। इस बिल को राज्यसभा ने 16 मार्च, 2021 को मंजूरी दी थी। इसके बाद इस विधेयक को 17 मार्च, 2020 को लोकसभा ने पारित कर दिया गया था।

## गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2021 की मुख्य विशेषताएं:

- इस कानून का उद्देश्य गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 में संशोधन करना है। ज्ञातव्य है कि वर्तमान कानून (द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971) के तहत कोई भी महिला सिर्फ 20 हफ्तों तक ही गर्भपात करा सकती थी।
- विशेष श्रेणी की महिलाओं के सन्दर्भ में 'गर्भ का चिकित्सकीय समापन' नियमों में किये जाने वाले संशोधनों में परिभाषित किया जाएगा। विशेष श्रेणी की महिलाओं के लिए गर्भ काल की ऊपरी सीमा को 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह तक किया जायेगा और इसके दायरे में बलात्कार से पीड़ित, अनाचार की शिकार और अन्य कमजोर महिलाओं (जैसे दिव्यांग महिलाओं, नाबालिग) आदि को शामिल किया जायेगा।
- गर्भधारण के 20 सप्ताह तक के गर्भ की समाप्ति के लिए एक प्रदाता (चिकित्सक) की राय और गर्भधारण के 20-24 सप्ताह तक के गर्भ की समाप्ति के लिए दो प्रदाताओं (चिकित्सकों) की राय की जरूरत होगी।
- मेडिकल बोर्ड द्वारा निदान के क्रम में बताए गए भ्रूण से संबंधित गंभीर असामान्यता के मामलों में गर्भ काल की ऊपरी सीमा लागू नहीं होगी। मेडिकल बोर्ड की संरचना, उसके कार्य और उससे संबंधित अन्य विवरणों का निर्धारण इस अधिनियम के तहत आने वाले नियमों में किया जायेगा।
- गर्भ समाप्त कराने वाली महिला का नाम और उससे जुड़े अन्य विवरणों का खुलासा किसी कानून में प्राधिकृत व्यक्ति को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति के समक्ष नहीं किया जाएगा।
- गर्भनिरोधक की विफलता के आधार को महिलाओं और उनके साथी के लिए बढ़ा दिया गया है।

## संशोधन की आवश्यकता क्यों?

- इंडिया जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि भारत में मातृ मृत्यु का कुल 10-13 प्रतिशत भाग असुरक्षित गर्भधारण के कारण होता है। उल्लेखनीय है कि असुरक्षित गर्भपात भारत में कुल होने वाली मातृ मृत्यु का तीसरा सबसे बड़ा कारण है।
- वर्तमान में 20 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था को समाप्त करने की इजाजत हेतु महिलाओं को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। यह महिलाओं के प्रजनन अधिकारों कम करता है।
- प्रसूतिविदों के अनुसार असुरक्षित गर्भपात सेवाएं प्रदान करने वाले स्थानों पर मातृ मृत्यु का खतरा और भी बढ़ जाता है।
- कई मामले ऐसे भी आते हैं जब बलात्कार,यौन शोषण इत्यादि जैसे अवांछित मामलों से जुड़े गर्भपात को अनुमति लेने के लिए भी लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है।
- उपरोक्त कारणों से भारत में काफी समय से गर्भपात की ऊपरी समय सीमा बढ़ाए जाने की मांग की जा रही थी जिसको देखते हुए सरकार के द्वारा इस विधेयक को लाया गया एवं लोकसभा द्वारा 17 मार्च 2020 को इसे मंजूरी दी गई थी।

## गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2021 का उद्देश्य और लाभ

- इस विधेयक का उद्देश्य चिकित्सकीय, प्रजनन, मानवीय या सामाजिक आधार पर गर्भपात की सुरक्षित और वैधानिक रूप से मान्य सेवाओं तक महिलाओं की पहुंच का विस्तार करना है।
- कुछ खास परिस्थितियों में गर्भ की समाप्ति के लिए गर्भकाल की ऊपरी सीमा को बढ़ाने और सुरक्षित गर्भपात की सेवा और गुणवत्ता से समझौता किए बिना सख्त शर्तों के तहत गर्भपात के दौरान गहन देखभाल की सुविधाओं तक पहुंच को मजबूत करने के उद्देश्य से इन संशोधनों में कुछ खास उप-धाराओं को प्रतिस्थापित किया गया है। इसके साथ ही मौजूदा गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 की कुछ धाराओं के तहत कुछ नई शर्तों को शामिल किया गया है।
- हाल ही में विभिन्न महिलाओं की ओर से भ्रूण की असामान्यताओं या यौन हिंसा के कारण हुए गर्भधारण के तर्क के आधार पर गर्भ काल की वर्तमान मान्य सीमा से परे जाकर गर्भपात की अनुमति के लिए न्यायालयों में कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं।
- इन संशोधनों से सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक महिलाओं के दायरे एवं पहुंच में वृद्धि होगी और यह उन महिलाओं के लिए गरिमा, स्वायत्तता, गोपनीयता और न्याय सुनिश्चित करेगा, जिन्हें गर्भ को समाप्त करने की जरूरत है। यह विधेयक महिलाओं की सुरक्षा एवं कल्याण की दिशा में एक कदम है और इससे कई महिलाएं लाभान्वित होंगी।

## प्रमुख मुद्दे और विश्लेषण

- गर्भपात की अनुमति पर भिन्न-भिन्न राय है। एक वर्ग का मानना है कि गर्भपात कराना महिला की अपनी इच्छा, और उसके प्रजनन अधिकार का मामला है। दूसरे वर्ग का मानना है कि राज्य जीवन के संरक्षण के लिए बाध्य है और इसलिए उसे फीटस यानी भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। विश्व के अनेक देशों में गर्भपात की शर्तें और समय अवधि अलग-अलग है जोकि फीटस के स्वास्थ्य और गर्भवती महिला को जोखिम के आधार पर तय होता है।

- कई महिलाओं ने असामान्य भ्रूण या बलात्कार के कारण 20 हफ्ते के बाद गर्भपात की अनुमति के लिए रिट याचिकाएं दायर की हैं। बिल सिर्फ उन मामलों में 24 हफ्ते के बाद गर्भपात की अनुमति देता है जहां मेडिकल बोर्ड ने भ्रूण को काफी असामान्य पाया है। इसका अर्थ यह है कि जिन मामलों में बलात्कार के कारण गर्भधारण होता है, उनमें 24 हफ्ते के बाद गर्भपात के लिए एक ही रास्ता बचता है, और वह रिट याचिका है।
- कानून यह स्पष्ट नहीं करता कि किस श्रेणी की महिला 20-24 हफ्ते के बीच गर्भपात करा सकती है और इसे नियमों के तहत निर्दिष्ट करने का प्रावधान करता है। यह कहा जा सकता है कि ऐसे मामलों को संसद द्वारा निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, सरकार को नहीं सौंपा जाना चाहिए।
- इस कानून में कहा गया है कि गर्भपात सिर्फ गायनाकोलॉजी या अब्स्टेट्रिक्स में विशेषज्ञता प्राप्त डॉक्टर ही करेंगे। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऐसे डॉक्टरों की 75% कमी है, गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात के लिए स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है।

## चुनौतियाँ

- बिल अभी भी महिलाओं को निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं देता है, क्योंकि 24 सप्ताह से अधिक के गर्भधारण के मामले में एक मेडिकल बोर्ड से उसे अनुमति लेना आवश्यक होगा।
- अनेक विशेषज्ञों ने ग्रामीण महिलाओं के संबंध में चिंता जाहिर की है, उनके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में या तो डाक्टर नहीं हैं अगर हैं भी तो इन ग्रामीण महिलाओं के पास डॉक्टर तक पर्याप्त पहुँच नहीं है। वहीं भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढाँचे की बात की जाए तो स्थिति और भी चिंताजनक है।

| गर्भावस्था के चरण | गर्भपात की शर्तें | |
|---|---|---|
| | एमटीपी एक्ट, 1971 | एमटीपी (संशोधन) बिल, 2020 |
| 12 हफ्ते तक | एक डॉक्टर की सलाह से | एक डॉक्टर की सलाह से |
| 12 से 20 हफ्ते | दो डॉक्टरों की सलाह से | एक डॉक्टर की सलाह से |
| 20 से 24 हफ्ते तक | अनुमति नहीं | कुछ श्रेणी की महिलाओं के लिए दो डॉक्टरों की सलाह से |
| 24 हफ्ते से अधिक | अनुमति नहीं | भ्रूण के अत्यधिक विकृत होने पर मेडिकल बोर्ड की सलाह से |
| गर्भावस्था के दौरान कभी भी | एक डॉक्टर, अगर गर्भवती महिला का जीवन बचाने के लिए तत्काल ऐसा करना जरूरी हो | |

- डाक्टरों की उपलब्धता की बात की जाए तो भारत में 1.3 बिलियन लोगों के लिये सिर्फ 10 लाख पंजीकृत डॉक्टर ही मौजूद हैं। अर्थात भारत में प्रत्येक 13000 नागरिकों पर मात्र 1 डॉक्टर मौजूद है। इससे ज्ञात होता है कि भारत में डाक्टरों की कितनी कमी है।
- ज्ञातव्य है कि भारत में लिंग-निर्धारण को अवैध घोषित किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार गर्भपात कानून को अधिक उदार बनाने से लिंग-निर्धारण जैसे अवैध कृत्य को प्रोत्साहन मिलेगा।

## आगे की राह

- भारतीय संविधान सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान व्यवहार की गारंटी देता है। इसके अलावा यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य तक सार्वभौमिक पहुँच का विषय 'जनसंख्या एवं विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन' (1994) तथा सतत् विकास लक्ष्यों के घोषणापत्र में भी अंतर्निहित है।
- जब तक प्रजनन आयु समूह की प्रत्येक महिला के पास प्रस्तावित कानून का उपयोग करने की क्षमता नहीं होगी, तब तक इस संशोधन की सफलता सुनिश्चित नहीं की जा सकेगी।
- जिस प्रकार सरकार ने सुदूर गाँवों के रोगियों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन से लाभान्वित करने और प्रसव के लिये संस्थागत सुविधाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाया है उसी प्रकार गर्भपात से संबंधित नियमों का लाभ प्राप्त करने के लिये भी सक्षम बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य से संबंधित बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि के साथ आधुनिक बनाने की जरूरत है।
- 24 सप्ताह से अधिक के गर्भधारण के मामले में एक मेडिकल बोर्ड से उसे अनुमति लेना आसान बनाना चाहिए साथ ही मेडिकल बोर्ड में महिला डाक्टर की भी भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

**सामान्य अध्ययन पेपर-2**

**Topic:**

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

**प्र. हाल ही में पारित गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2021 का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।**

# 04 भारत-पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम के मायने

## चर्चा का कारण

- भारत और पाकिस्तान के बीच इस साल फरवरी में सीजफायर उल्लंघन (Ceasefire Violation) को लेकर एक अहम समझौता हुआ, जिसके तहत दोनों देशों के बीच तय किया गया है कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल और दूसरे सेक्टर्स में सीजफायर को नहीं तोड़ेंगे। इस समझौते से दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही कड़वाहट और शिथिलता के खत्म होने की संभावना पैदा हुई है।

## परिचय

- साल 2003 में भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी पर सीजफायर को लेकर समझौता हुआ था। इसके तहत तय किया गया था कि दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर एक-दूसरे पर गोलीबारी नहीं करेंगी। यह समझौता करीब 3 साल तक ठीक चला, लेकिन पाक ने साल 2006 में फिर गोलीबारी शुरू कर दी। वहीं, बीते साल 2020 में सीमा पर पाकिस्तान ने रिकॉर्ड सीजफायर उल्लंघन किया है, जिसके बाद इस साल फरवरी में दोबारा सीजफायर समझौता बहाल हुआ।
- 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 के प्रावधानों को समाप्त कर दिया साथ ही जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल को मंजूरी मिलने के साथ ही जम्मू-कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटा गया। भारत के इस कदम से पाकिस्तान ने भारत को धमकाते हुए कहा था कि उसके साथ बातचीत करने के लिए अगस्त 2019 से पहले की स्थिति को बहाल करना होगा। गौरतलब है कि अगस्त 2019 के बाद से पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा के पास 7,000 से अधिक सीजफायर का उलंघन किया गया है। इसके पहले 14 फरवरी, 2019 के दिन पुलवामा आतंकी हमला और बाद में भारत द्वारा बालाकोट ऑपरेशन के कारण दोनों देशों के बीच संबंधों में लगातार गिरावट आती रही है।

- नवंबर 2020 में पाकिस्तान द्वारा गिलगित बाल्टिस्तान को अनंतिम प्रांतीय दर्जा प्रदान किये जाने के बाद भारत ने गिलगित बाल्टिस्तान को भारत का एक अभिन्न अंग बताया था। हालांकि वर्ष 2003 के समझौते के संबंध में नवीनतम शांति समझौते से दोनों देशों के बीच शांति कायम रखने मे मदद मिल सकती है।

## वर्तमान शांति समझौते के मायने

- दोनों देशों के बीच तनाव के दौर में द्विपक्षीय समझौते, कारोबार समेत हर चीज पर बुरा असर पड़ा है। ऐसे में जानकरों का मानना है कि वर्तमान शांति समझौते से भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्तों को सुधारने में मदद मिलेगी।
- चीन के साथ भारत का पिछले साल से तनाव चल रहा है। ऐसे में सरकार नहीं चाहती थी कि चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ सीमाओं को लेकर तनाव रहे। इस लिहाज से ये समझौता ठीक है।
- यह समझौता कश्मीर में जमीनी स्तर पर सुरक्षा स्थिति के सुधार में योगदान दे सकता है।
- दोनों देशों के बीच इस समझौते से घुसपैठ की कोशिशें कम हो सकती हैं तथा सीमा पार आतंकवाद को रोकने संबंधी भारत की प्रमुख मांग पर पाकिस्तान गंभीर हो सकता है।

## बैक चैनल डिप्लोमेसी

- कूटनीतिक हलकों में भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों और बयानों का कारण 'ट्रैक टू डिप्लोमेसी' को बताया जा रहा है। इस संबंध में ब्लूमबर्ग ने हाल में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जसमें कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान ने शांति कायम करने के लिए चार सदस्यीय 'शांति ब्लूप्रिंट' का पालन करना शुरू कर दिया है, जिसे संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने तैयार किया है। इसके अतिरिक्त देखा जाये तो माहौल में यह बदलाव जो बाइडन के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद सामने आ रहा है। अमेरिका की भी रुचि है कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से संपर्क में रहें।

## चुनौतियाँ

- दोनों देशों के बीच विवादों के पुराने इतिहास, चरमपंथ, घुसपैठ और संघर्षविराम के उल्लंघन के खराब अनुभवों को देखते हुए यह सवाल जरूर पैदा हो रहा है कि यह संघर्षविराम कितना लंबा चल पाएगा? चूंकि संघर्षविराम पहली बार तो नहीं हुआ है। वर्ष

2003 में पहली बार संघर्षविराम समझौता हुआ और तब ये कुछ ही साल चला।

- संघर्षविराम तभी तक टिक पाएगा जब पाकिस्तान घुसपैठ पर लगाम लगाता है। जानकार पाकिस्तान की मंशा पर शक जताते हैं। वे कहते हैं, कि पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर की एक नीति रही है, जो शांति का सिर्फ दिखावा करती है।
- संघर्षविराम के टिकाऊ होने की राह में दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहला ये कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है जबकि दूसरा ये कि मौजूदा सरकार की नीति में पाकिस्तान को लेकर कोई खास रणनीति नहीं है।
- हाल के वर्षों में, जबकि पाकिस्तान की ओर से एक भी ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है जो शांति के लिए उसकी वास्तविक इच्छा का संकेत देती है, वहीं इमरान खान और उनके समकक्षों के माध्यम से भारतीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार और भारत के लोगों के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वह बेहद भद्दी और कड़वी है। स्पष्ट रूप से इन परिस्थितियों में इमरान खान या बाजवा द्वारा बोले गए किन्हीं एक या दो वाक्यों को शांति स्थापित करने की पाकिस्तान की मंशा के रूप में देखना कल्पना की उड़ान से कम नहीं है। यह किसी भी रूप में द्विपक्षीय संबंधों में नरमी आने का संकेत नहीं है।
- इस बात की अधिक संभावना है कि भारत के लिए पाकिस्तान की 'शांति की पेशकश और संवाद प्रस्ताव' अमेरिका में बहाल हुई नई सरकार और नए प्रशासन पर अधिक लक्षित था। इमरान खान और जनरल बाजवा खुद को तार्किक रूप से चलने वाले उन लोगों के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे थे, जो भारत के साथ शांति पर बात करने के लिए तैयार थे, और फिर इस का उपयोग भारत को जिद्दी और कठोर साबित करने के लिए किया जा सकता है। पाकिस्तान की योजना पश्चिमी प्रेस में भारत के नकारात्मक कवरेज का फायदा उठाने और जनमत को बदलने की है, ताकि पाकिस्तान को कुछ रियायतें देने के लिए भारत पर अमेरिकी दबाव बनाया जा सके।

## आगे की राह

- इस समय भारत के लिए अफगानिस्तान में शांति योजना और विशेष रूप से अमरीकी शांति योजना का हिस्सा होना बहुत महत्वपूर्ण है। अफगान शांति प्रक्रिया में मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान का भागीदार बनना और अमरीकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में जो बाइडेन का जीतना, यह भारत के लिए क्षेत्र में अपनी स्थिति के बारे में सोचने का एक महत्वपूर्ण अवसर जरूर बन चुका है। अगले दो से तीन वर्षों तक अमरीका पाकिस्तान पर निर्भर रहेगा और ऐसी स्थिति में किसी तरह की दुश्मनी मोल लेना, क्षेत्रीय स्तर पर और विश्व स्तर पर खुद को अलग करने के बराबर होगा।
- दूसरी तरफ, एक और समस्या चीन के साथ भारत का सीमा विवाद और पाकिस्तान के साथ चीन की निकटता है। भारत को डर है कि मई 2020 और जनवरी 2021 में चीन और भारत के बीच सीमा को लेकर तनाव और पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ती निकटता के परिणामस्वरूप भारत पूर्वी और उत्तरी सीमाओं पर फंस सकता है।
- अफगान शांति प्रक्रिया में पाकिस्तान की भूमिका पूर्व और पश्चिम के बीच का मार्ग प्रशस्त करने की होगी। पाकिस्तान की कोशिश है कि क्षेत्र में अपने विभिन्न विकल्पों को देखने के साथ-साथ देश को भौगोलिक रणनीति से हटाकर, भौगोलिक-अर्थव्यवस्था के तौर पर देखा जाए।
- भारत के लिए यह जरूरी है कि वह अपने द्वारा खींची गई लाल रेखाओं और अपने लिए तय की गई सीमाओं पर अडिग रहे और न केवल पाकिस्तान के अपने हित में बढ़ाए गए 'शांति के हाथ' को अस्वीकार करे बल्कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए किसी भी तरह की आभार प्रकट करने वाली कोशिश से बचे। इसके साथ ही, भारत को चाहिए कि वह पाकिस्तान के सामने इस बात को स्पष्ट कर दे कि उसके द्वारा बढ़ाए गए शांति के इस हाथ को तभी थामा जा सकता है, जब इसकी एवज में पाकिस्तान जमीनी बदलाव के कुछ संकेत दिखाए।

**सामान्य अध्ययन पेपर-2**

**Topic:**

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

**प्र. भारत- पाकिस्तान संघर्ष विराम समझौते का अवलोकन कीजिए।**

# 05 स्वास्थ्य के अधिकार को सुनिश्चित करने की आवश्यकता

## चर्चा का कारण

- राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राजस्थान के 'सार्वजनिक स्वास्थ्य मॉडल' को लागू करने की घोषणा की है। ज्ञातव्य है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 24 फरवरी, 2021 को 2021-22 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए राज्य के लिए एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की घोषणा की थी। इस स्वास्थ्य मॉडल में स्वास्थ्य के अधिकार' के साथ-साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुझाए गए निवारक, प्राथमिक एवं उपचारात्मक देखभाल के उपाय भी शामिल होंगे।

## राजस्थान का सार्वजनिक स्वास्थ्य मॉडल

- इस मॉडल के तहत, राज्य विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की सिफारिशों के अनुसार निवारक देखभाल के उपाय, प्राथमिक देखभाल के उपाय और उपचारात्मक देखभाल के उपाय करेगा।
- इसके लिए राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने और सभी नागरिकों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु 'मुख्यमंत्री स्वास्थ्य चिरंजीवी योजना' की शुरुआत की गई है।
- इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये का हेल्थ कवर मिलेगा।
- इसमें उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा जो आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना (AB-MGRSBY) के लाभार्थी हैं। वे इसका मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं।
- यह योजना अनुबंधित श्रमिकों और छोटे व सीमांत किसानों को भी कवर करेगी।
- जबकि, शेष लोग सरकारी और निजी अस्पतालों में बीमा प्रीमियम की 50 प्रतिशत लागत का भुगतान करके योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं।
- इसके अलावा भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन अनुसंधान संस्थान (IIHMR) ने मरीजों के अधिकारों के साथ-साथ सेवा प्रदाताओं के लिये राज्य में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार मानकों की स्थापना की जाएगी
- केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों (IPHS) को मौजूदा कार्यक्रमों के बदलते प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया गया है।
- यह योजना प्रत्येक 3 किमी० के दायरे में उपलब्ध करायी जाए।

## भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (IPHS) क्या है?

- भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक देश में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के वितरण की गुणवत्ता में सुधार के लिये समान मानकों का एक समूह है। इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लचीला बनाया गया है। भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक दिशा-निर्देश, गुणवत्ता में निरंतर सुधार और स्वास्थ्य सुविधाओं की कार्यात्मक स्थिति का आकलन करने के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करता है।
- IPHS दिशानिर्देशों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, पहला- "न्यूनतम बीमाकृत सेवाएँ" या आवश्यक सेवाएँ और दूसरा "वांछनीय सेवाएँ"। आवश्यक सेवाएँ उस सुविधा पर उपलब्ध होनी चाहिए जिसमें प्रचारक, निवारक, उपचारात्मक, रेफरल सेवाएँ और सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल हैं। 'वांछनीय' सेवाओं का उद्देश्य राज्यों को सुविधा के विशेष स्तर प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए।
- ज्ञातव्य है कि IPHS दिशा निर्देश सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं। इसके दिशा निर्देश प्रकृति में अनुशंसात्मक हैं लेकिन अनिवार्य नहीं हैं। विदित हो कि स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के नाते, IPHS मानदंडों में सुविधाओं को शामिल करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों की है। विदित है कि एनएचएम के तहत, आईपीएचएस मानदंडों के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

## भारत के परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य का अधिकार

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 21 में निहित मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों से प्राप्त होता है और इसमें स्वास्थ्य की सुरक्षा भी शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना है कि स्वास्थ्य का अधिकार जीवन के अधिकार से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है और सरकार को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का संवैधानिक दायित्व है।

## भारतीय संविधान में प्रावधान

- संविधान का अनुच्छेद-21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। स्वास्थ्य का अधिकार गरिमायुक्त जीवन के अधिकार में निहित है। राज्य नीति के निदेशक तत्त्व में भी अनुच्छेद 38, 39, 42, 43 और 47 ने स्वास्थ्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिये राज्यों को निर्देशित किया है।

## स्वास्थ्य का अधिकार बनाम न्यायिक मामले

- सर्वप्रथम विन्सेंट पनिकुर्लान्गारा बनाम भारत संघ एवं अन्य वाद 1987 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्वास्थ्य के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत माना और कहा कि इसे सुनिश्चित करना, राज्य की एक जिम्मेदारी है।
- कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर बनाम भारत संघ वाद 1995 मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि संविधान के अनुच्छेद 39 (सी), 41 और 43 को अनुच्छेद 21 के साथ पढ़े जाने पर यह साफ हो जाता है कि स्वास्थ्य और चिकित्सा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।
- पंजाब राज्य बनाम मोहिंदर सिंह चावला (1997) के मामले में भी उच्चतम न्यायालय द्वारा यह साफ किया जा चुका है कि स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना सरकार का एक संवैधानिक दायित्व है।
- एसोसिएशन ऑफ मेडिकल सुपरस्पेशलिटी अस्पिरंट्स एवं रेसिडेंट्स बनाम भारत संघ के मामले में (2019) उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा के लिए राज्य पर एक दायित्व को लागू करता है।
- अश्विनी कुमार बनाम भारत संघ (2019), के मामले में उच्चतम न्यायालय ने जोर देकर कहा था कि राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि ये मौलिक अधिकार (स्वास्थ्य सम्बन्धी) न केवल संरक्षित हैं बल्कि लागू किए गए हैं और सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं।
- हाल ही में, तेलंगाना हाईकोर्ट ने अपने एक निर्णय जय कुमार बनाम तेलंगाना राज्य एवं अन्य 2020 में यह कहा था कि मेडिकल इमरजेंसी के नाम पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुचलने की इजाजत नहीं दी

जा सकती जो उन्हें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है।

## पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश

- पंद्रहवें वित्त आयोग ने स्वास्थ्य क्षेत्र के संतुलित विस्तार के लिए एक उच्च-स्तरीय समूह का गठन किया था। इस समिति की सिफारिशों में शामिल हैं:
- प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार होना चाहिए।
- राज्य सूची से स्वास्थ्य के विषय को समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि केंद्र और राज्यों दोनों की नीति कार्यान्वयन और परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका हो सके।
- 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यों द्वारा 2022 तक उनके बजट का 8 प्रतिशत से अधिक स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाया जाना चाहिए।
- 15वें वित्त आयोग ने स्वास्थ्य अनुदान को शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एचडब्ल्यूसी), बिल्डिंग-कम सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, ब्लॉक स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों के लिए कुल 70,051 करोड़ रुपये देने की सिफारिश की है और प्राथमिक स्वास्थ्य गतिविधियों के लिए बुनियादी ढांचे ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार हो सके जिसके जरिए उप केंद्र और पीएचसी को एचडब्ल्यूसी में परिवर्तित किया जाएगा। ये अनुदान स्थानीय निकायों को जारी किया जाएगा।
- 15वें वित्त आयोग ने शेष अनुदान राशि में से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 31,755 करोड़ रुपये (स्थानीय निकायों के माध्यम से कुल 1,06,606 करोड़ रुपये, स्थानीय निकाय के माध्यम से राज्य सरकार के विशिष्ट अनुदान के रूप में 70,051 करोड़ रुपये) देने की सिफारिश की है। इसमें से क्रिटिकल केयर अस्पतालों के लिए 15,265 करोड़ रुपये और सामान्य राज्यों के लिए 13,367 करोड़ और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 1,898 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
- 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए 13,296 करोड़ दिए जाएं। इसमें से 1,986 करोड़ पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों सामान्य राज्यों के लिए 11,310 करोड़ दिए जाएंगे।

## प्रमुख चुनौतियाँ

- देश में शिक्षा का अधिकार कानून और सूचना का अधिकार कानून तो है लेकिन स्वास्थ्य का अधिकार कानून अभी भी क्रियान्वित नहीं हो सका है।
- 2015 में इसको लेकर एक मसौदा तैयार किया गया था, लेकिन 2017 में बने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया।
- भारत स्वास्थ्य पर सबसे कम खर्च करने वाले बड़े देशों में शुमार रहा है।
- 2019 में भारत ने स्वास्थ्य पर जीडीपी का 1.5 फीसदी खर्च किया और वित्तीय वर्ष 2020 में 1.6 फीसदी। इससे पहले, 2017-18 में जीडीपी का 1.28 फीसदी और 2016-17 में 1.02 फीसदी खर्च किया गया। उल्लेखनीय है कि श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देश स्वास्थ्य पर भारत से कहीं ज्यादा खर्च करते हैं।
- इसके अलावा स्वास्थ्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए अन्य खामियों को देखा जाए तो सबसे पहला है- आबादी के अनुपात में अस्पतालों और डॉक्टरों की कमी। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं, आधारभूत संरचना, दवाइयों, कुशल व प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य सुविधाओं की भारी कमी है।
- कई ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं खुल पाए हैं और अगर कहीं खुल भी गए हैं तो वहाँ पर कोई चिकित्सक जाना नहीं चाहता है।
- आर्थिक असमानता के कारण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में भी काफी विषमता है।
- महँगी होती स्वास्थ्य सेवाओं के कारण आम आदमी द्वारा स्वास्थ्य पर किये जाने वाले खर्च में बेतहाशा वृद्धि हुई है जिससे यह वर्तमान समय में गरीबी को बढ़ाने वाला एक प्रमुख कारण माना जाने लगा है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी स्वास्थ्य के अधिकार को प्राप्त करने में बड़ी बाधा है।

## आगे की राह

- देश में शिक्षा के आधिकार की तरह ही स्वास्थ्य का अधिकार भी मौलिक अधिकार में शामिल किया जाना चाहिए। जिससे सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017 में भी इसे शामिल किया जाना चाहिए, साथ ही इसका प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट बढ़ाया जाना चाहिए तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होना चाहिए।
- स्वास्थ्य के अधिकारों की रक्षा करना नीति निर्माताओं के लिये आवश्यक होना चाहिए, साथ ही साथ उन्हें इसके लिये जागरूक भी किया जाना चाहिए। क्योंकि जो अशिक्षित हैं वे अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाते हैं।
- इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र मे तकनीकी का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होना चाहिए जैसे- टेलीमेडिसिन सेवा का उपयोग करके देश के सुदूर भागों और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा में गुणात्मक सुधार लाया जा सकता है।
- चिकित्सा की ऐलोपैथिक पद्धति के अलावा उपलब्ध अन्य चिकित्सीय पद्धति पर भी जोर देना चाहिये, जैसे- आर्युवेद, योग, होम्योपैथिक आदि। इससे एलोपैथिक पद्धति पर दबाव कम होगा।
- विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों एवं प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई बातों का रेडियो एवं टेलीविजन के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिये।
- सरकार को यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि निजी चिकित्सा उद्योग सिर्फ चुनिंदा शहरों तक सीमित ना रहें बल्कि इनका विस्तार गाँव और दूर-दराज के क्षेत्रों में भी होना चाहिए।

**सामान्य अध्ययन पेपर-2**

Topic:
- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

Topic:
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे।

**प्र. भारत में 'स्वास्थ्य का अधिकार' प्राप्त करना आम जनता की पहुँच से काफी दूर है। टिपण्णी कीजिए।**

# 06 वैश्विक जल संकट रिपोर्ट, 2021 : एक अवलोकन

## चर्चा का कारण

- दुनिया के हर पांचवे बच्चे के पास उसकी रोज की जरूरतों को पूरा करने लिए पर्याप्त पानी नहीं है। यह जानकारी यूनिसेफ द्वारा 18 मार्च 2021 को जारी विश्लेषण में सामने आई है।

## परिचय

- यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरीटा फोर के अनुसार ऐसा नहीं है कि दुनिया में जल संकट आने वाला है बल्कि यह पहले ही मौजूद है। बस जलवायु परिवर्तन स्थिति को और बदतर बना देगा। उनके अनुसार जब जल संकट आता है तो इसका सबसे बड़ा शिकार बच्चे ही बनते हैं। जब कुएं सूख जाते हैं तो उन्हें ही अपने स्कूलों को छोड़ पानी भरने जाना पड़ता है। जब सूखा पड़ता है तो बच्चे ही कुपोषण और स्टंटिंग का शिकार बनते हैं। जब बाढ़ आती है तो बच्चे ही दूषित पानी से होने वाली बीमारियों का शिकार बनते हैं और जब पानी की किल्लत होती है तो बच्चे साफ-सफाई नहीं रख पाते, हाथ नहीं धो पाते, ऐसे में वो बीमारियों का आसानी से शिकार हो जाते हैं।
- आबादी और जरूरतों के बढ़ने के साथ-साथ पानी की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि संसाधन कम होते जा रहे हैं। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, पानी की बर्बादी और कुप्रबंधन के अलावा जलवायु परिवर्तन और मौसम की चरम घटनाओं के चलते भी पानी की मात्रा और गुणवत्ता गिरती जा रही है। जिससे जल संकट और उससे उपजा तनाव भी बढ़ता जा रहा है। 2017 में यूनिसेफ द्वारा एक रिपोर्ट से पता चला है कि 2040 तक दुनिया भर में हर चार में से एक बच्चा उन क्षेत्रों में रहने को मजबूर होगा जो जल संकट के कारण उच्च तनाव में होंगे।

## क्या कहते हैं आंकड़े?

- वैश्विक स्तर पर देखें तो करीब 142 करोड़ लोग उन स्थानों पर रहते हैं जहां पानी की भारी कमी है। इनमें 45 करोड़ बच्चे भी शामिल हैं।
- आंकड़ों से पता चला है कि 80 से ज्यादा देशों में बच्चे उन स्थानों पर रहते हैं जो गंभीर जल संकट को झेल रहे हैं।
- पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका के ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों का अनुपात सबसे अधिक है। अनुमान है कि वहां के 58 फीसदी से ज्यादा बच्चे हर दिन पानी की समस्या का सामना करते हैं।
- इसके बाद पश्चिम और मध्य अफ्रीका के 31 फीसदी, दक्षिण एशिया में 25 फीसदी और मध्य पूर्व में 23 फीसदी बच्चे इस तरह के जल संकट का सामना कर रहे हैं।
- वहीं यदि बच्चों की संख्या के हिसाब से देखें तो दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा 15.5 करोड़ बच्चे गंभीर और अति गंभीर जल संकट का सामना करने को मजबूर हैं।
- दुनिया में 37 देश ऐसे हैं जिन्हें बच्चों के लिए जल संकट का हॉटस्पॉट माना गया है।
- इसमें भारत के साथ-साथ अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, इथियोपिया, हैती, केन्या, नाइजर, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पापुआ न्यू गिनी, सूडान, तंजानिया और यमन आदि देश शामिल हैं।
- यदि भारत की बात करें तो यहां करीब 9.14 करोड़ बच्चे गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं।

## भारत की स्थिति

- साल 2018 में नीति आयोग द्वारा किये गए एक अध्ययन में 122 देशों के जल संकट की सूची में भारत 120वें स्थान पर खड़ा था।
- जल संकट से जूझ रहे दुनिया के 400 शहरों में से शीर्ष 20 में 4 शहर (चेन्नई पहले, कोलकाता दूसरे, मुंबई 11वां तथा दिल्ली 15 नंबर पर है) भारत में है।
- देश के 40% से अधिक क्षेत्रों में सूखे का संकट है। 2030 तक बढ़ती आबादी के कारण देश में पानी की मांग अभी हो रही आपूर्ति के मुकाबले दोगुनी हो जाएगी। इससे लाखों लोग पानी की समस्या से जूझेंगे। साथ ही बढ़ता वैश्विक तापमान भारत की जल संकट की स्थिति को और बद्तर बनाने में सहायक होगा।
- भयंकर भू-जल दोहन के कारण 2007-2017 के बीच देश में भू-जल स्तर में 61% तक की कमी आयी है। देश के 40% से अधिक क्षेत्रों में सूखे का संकट है।
- विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 वर्षों में सूखे की वजह से भारत में 3 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की तथा प्रति वर्ष साफ पीने के पानी की कमी के कारण 2 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है।
- मौजूदा दौर में भारत में जहां शहरों में गरीब इलाकों में रहने वाले 9.70 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पाता है। वहीं ग्रामीण इलाकों में 70 फीसदी लोग प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं। लगभग 33 करोड़ लोग अत्यंत सूखा ग्रसित जगहों पर रहने को मजबूर हैं। जल संकट की इस स्थिति से देश की जीडीपी में अनुमानतः 6% का नुकसान होने की आशंका है।
- नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में भी यह बात स्वीकार की गयी है कि भारत के कई शहरों में जल संकट गहराता जा रहा है, और आने वाले वक्त में उसके और विकराल रूप लेने के आसार हैं। रिपोर्ट के अनुसार जहां 2030 तक देश की लगभग 40 फीसदी आबादी के लिए जल उपलब्ध नहीं होगा। वहीं 2020 तक देश में 10 करोड़ से भी अधिक लोग गंभीर जल संकट का सामना करने के लिए मजबूर हो जायेंगे।

## प्रभाव

- भारत में ग्रामीण इलाकों में जल संकट की गंभीर समस्या के कारण ग्रामीण जनसंख्या पहले से आबादी की मार झेल रहे शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर है, जिससे शहरों में अनियंत्रित जनसंख्या का बोझ बढ़ता जा रहा है। देश के ग्रामीण इलाकों में जल अभाव शहरों की तरफ पलायन की एक बड़ी वजह है।
- कृषि क्षेत्र में अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है तथा जल खाद्य सुरक्षा की कुंजी है।
- जल की कमी से आजीविका का संकट उत्पन्न होगा जो प्रवासन को बढ़ावा देगा।
- विश्व बैंक के अनुसार, जल की कमी के चलते कई देशों की GDP प्रभावित होगी और आर्थिक समस्याओं में भी वृद्धि हो सकती है।
- जल संकट से पेड़-पौधों को नुकसान पहुँचने के साथ ही जीव-जंतुओं पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

## भारत में जल संकट के कारण

- विशेषज्ञों का मानना है कि भारत भूजल के अत्यधिक उपयोग और संदूषण के संकट की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
- भूजल का अत्यधिक उपयोग या अतिदोहन उस परिस्थिति को कहते हैं जब एक समयावधि के बाद जलभृतों की औसत निकासी दर, औसत पुनर्भरण की दर से अधिक होती है।
- भारत में भूजल की अपेक्षा सतही जल की उपलब्धता अधिक है। फिर भी भूजल की विकेंद्रित उपलब्धता के कारण यह आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। भारत की कृषि और पेय जल आपूर्ति में उसकी हिस्सेदारी बहुत बड़ी है।
- निष्कर्षित भूजल का 89% हिस्सा सिंचाई क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है जोकि उपयोग की सबसे बड़ी श्रेणी है। इसके बाद घरेलू उपयोग का स्थान आता है जोकि निष्कर्षित भूजल का 9% है। भूजल का 2% हिस्सा उद्योगों में उपयोग किया जाता है। शहरों में जल की 50% और गांवों में जल की 85% घरेलू आवश्यकता भूजल से पूरी होती है।

## सरकारी प्रयास

- **जल जीवन मिशन (JalJeevan Mission)-** यह मिशन 15 अगस्त, 2019 को शुरू किया गया था। इसे व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन द्वारा सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कल्पना की गई है। यह 2024 तक भारत के सभी ग्रामीण घरों में नल का जल कनेक्शन प्रदान करने का प्रयास करेगा। यह कार्यक्रम ग्रे वाटर मैनेजमेंट, वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण के माध्यम से पुनर्भरण और पुनः उपयोग जैसे स्रोत स्थिरता उपायों को अनिवार्य तत्वों के रूप में लागू करता है। यह मिशन पानी के सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है।
- **जल शक्ति अभियान-** प्रधानमंत्री मोदी ने 22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर "जल शक्ति अभियानः कैच द रेन" अभियान (Jal Shakti Abhiyan : Catch the Rain Campaign) लॉन्च किया। यह अभियान देश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में चलाया जायेगा। यह अभियान 22 मार्च से 30 नवम्बर तक चलाया जायेगा।
- **जल शक्ति मंत्रालय-** बढ़ते जल संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2019 में "जल शक्ति मंत्रालय " बनाया। इसका गठन दो मंत्रालयों के विलय से हुआ था जल संसाधन तथा नदी विकास, गंगा कायाकल्प और पेयजल, स्वच्छता मंत्रालय। इस मंत्रालय को पानी की समस्या के निदान के लिए ही खासतौर पर बनाया गया है। मंत्रालय ने 2024 तक सभी घरों में पाइप के जरिए वॉटर कनेक्शन देने की योजना बनाई है।

## आगे की राह

- जलाभाव क्षेत्रों को जल संकट से बचाने के लिए न केवल जल की हो रही बर्बादी को रोकना होगा। साथ ही, इसके बेहतर प्रबंधन पर भी ध्यान देना होगा। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के असर को सीमित करने के प्रयास करने होंगे। यह तभी हो सकता है जब हम सब मिलकर इस दिशा में प्रयास करें।
- "जल सुरक्षा अधिनियम" के तहत ट्यूबवेल तथा बोरवेल की गहराई की सीमा तय हो, पानी की बर्बादी को नियंत्रित करने के लिए मीटर लगवाना अनिवार्य हो तथा तय मानक के अतिरिक्त जल उपयोग पर शुल्क भी देय जैसे नियमों को शामिल करने की जरूरत है।
- जल संकट की इस समस्या से स्थायी निजात पाने के लिए उचित तथा चरणबद्ध तरीके से निपटने के लिए सरकार को पॉलिसी बनाते समय सप्लाई साइड ही नहीं बल्कि डिमांड साइड पर ज्यादा ध्यान देने की जरुरत है।
- "जल साक्षरता" अभियान के तहत मानव जीवन में जल की महत्ता, देश में उपलब्ध जल श्रोत, देश में मौजूदा जल संकट की स्थिति से आम जनमानस को अवगत कराने की जरूरत है। स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक उपायों (उपलब्ध साफ पानी का सही इस्तेमाल, पानी की बर्बादी न करें, वर्षा जल का संचयन, सामुदायिक जल प्रबंधन, कृषि सिचाई के तरीके में बदलाव, तकनीक का इस्तेमाल, साफ पानी की जगह उपयोग किये जल को शोधित करके उसको उपयोग में लाये, पानी को प्रदूषित होने से बचायें) को सरल और सहज तरीकों से जनता तक टीवी, रेडियो तथा सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने की जरूरत है।
- जन सामान्य के सहभागिता तथा जिम्मेदारी के साथ जल के उपयोग से मांग को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। नई पीढ़ी को जल संरक्षण के महत्व से परिचित कराना होगा।
- प्राकृतिक जल स्रोतों पर हो रहे अतिक्रमण को रोकना होगा तथा साथ ही स्थानीय जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना होगा। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ ग्राउंड वॉटर लेवल बढ़ाने के लिए भू-जल रिचार्ज पर भी ध्यान देने की जरुरत है।
- नीदरलैंड जैसे देश ने नदियों के प्राकृतिक स्वरुप को बनाये रखने के लिए 'Room for River', जैसे तरीकों को अपनाया है। जल संकट की इस स्थिति से निपटने के लिए हमें जल उपयोग के व्यवहार में पांच बिन्दुओं – बचत (Reduce) पुनः इस्तेमाल (Reuse), पुनर्भरण (Recharge), पुनर्चक्रण (Recycle), पानी का सम्मान करना (Respect water) जैसे मूलभूत बदलावों को अपनाने की जरुरत है।

**सामान्य अध्ययन पेपर–2**

**Topic:**

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

**Topic:**

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

**प्र. हाल ही में जारी यूनिसेफ की वैश्विक जल संकट रिपोर्ट का भारत के संबंध में मूल्यांकन कीजिए।**

# 07 भारतीय शहरों में अग्नि सुरक्षा प्रणाली एवं उससे संबद्ध मुद्दे

## चर्चा का कारण

- हाल ही में मुंबई के एक मॉल में स्थित अस्पताल में आग लगने के चलते कोरोना वायरस से संक्रमित नौ मरीजों की मौत हो गई है।
- भू जलवायु परिस्थितियों के कारण भारत पारंपरिक रूप से प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील रहा है। यहाँ बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप तथा भूस्खलन की घटनाएं आम हैं। किन्तु शहरी क्षेत्रों में आग लगने की घटनाएं मानव निर्मित ही कही जा सकती हैं।

## शहरी क्षेत्रों में आग लगने के कारण

- भारत में शहरी क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा के मानदंडों की अवहेलना काफी आम हो गयी है, क्योंकि भारत में अधिकतर शहर अनियोजित तरीके से बसे हैं, इसलिए शहरों में लगी आग विभीषिका का रूप ले लेती है।
- शॉर्ट सर्किट और गैस सिलेंडर में विस्फोट के साथ मानवीय लापरवाही आदि कई ऐसे प्रमुख प्रत्यक्ष कारण हैं जो भारत में शहरी आग के लिए उत्तरदायी हैं।
- इसके अतिरिक्त, शहरी आग के परोक्ष कारणों में रिहायशी क्षेत्रों में अवैध व्यावसायिक गतिविधियां, भवन व अग्नि सुरक्षा के दिशानिर्देशों की अवहेलना, दमकल विभाग में आधुनिक उपकरणों, गाड़ियों, दमकल केंद्रों की अपर्याप्त संख्या एवं आधारभूत संरचना का अभाव आदि है।
- बड़े- बड़े शहरों में व्यावसायिक भवनों में आग से बचाव के उपकरण तो लगाए जाते हैं, लेकिन वहां कार्य करने वाले कर्मचारियों को अकसर इन उपकरणों के संचालन की व्यावहारिक जानकारी नहीं होती है।
- भारत में यह भी देखा गया है कि शहरों में व्यावसायिक भवनों में आग से बचाव के उपकरण केवल इसलिए लगाए जाते हैं, ताकि व्यावसायिक गतिविधियों के लिए उसे स्थानीय निकाय से अग्निरोधी उपकरणों के होने का प्रमाणपत्र हासिल हो सके।

## भारत में अग्नि सुरक्षा हेतु विविध उपबंध

### 1. अग्नि सुरक्षा प्रणाली

- देश में अग्नि सुरक्षा संगठनों की अगुआई सरकारी अधिकारियों, स्थानीय सरकार व निजी उद्यमी कर रहे हैं, अग्नि सुरक्षा प्रणाली के बुनियादी कार्य निम्न हैं-
- आग (उपकरण, सुरक्षात्मक उपकरण, संचार, अग्निरोधी इत्यादि) के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी के लिए डिजाइन किए गए विशेष तकनीकी का इजाद करना।
- विचाराधीन क्षेत्र में लाइसेंस प्रदान करना।
- स्वैच्छिक अग्निशमक स्वयंसेवकों की सहायता करना।
- अग्नि सुरक्षा पर्यवेक्षण का कार्यान्वयन करना।
- एक अग्निशमन व्यवस्था की स्थापना करना।

### 2. सरकारी प्रयास

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority-NDMA) ने अग्निशमन सेवाओं से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किये हैं। सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों व उनसे सम्बद्ध स्थानीय निकायों द्वारा इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन किये जाने की अपेक्षा की गई है।
- गौरतलब है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243W व 12वीं अनुसूची में अग्निशमन सेवाएँ से संबन्धित प्रावधान हैं।
- भारत सरकार द्वारा निर्मित भारतीय भवन निर्माण संहिता, 2016 (National Building Code of India, 2016) में भवनों में आग लगने की घटनाओं तथा उनसे बचाव के आवश्यक उपायों का उल्लेख किया गया है।

### 3. फायर एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FSAI)

- फायर एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक गैर-लाभकारी संगठन है, जो 2002 से फायर प्रोटेक्शन के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इसके प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
- भारत के सभी नागरिकों को सुरक्षित रहने की भावना को बढ़ावा देना और हर समय सुरक्षा और सुरक्षा के प्रति सक्रिय करना।
- अग्नि सुरक्षा और सुरक्षा प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा देना।
- अग्नि सुरक्षा से संबन्धित जागरूकता विकसित करना।
- अपने सदस्यों के बीच उच्च नैतिक मानकों को बनाये रखना।

- इसे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाकर और यथार्थवादी पैमाने पर अग्नि के दृष्टिकोण से सिमुलेशन सिस्टम स्थापित करके बनाया गया है ताकि चुनौतियों का सामना किया जा सके व सशस्त्र बलों में रक्षा अग्निशमन सेवा के कार्मिकों और लड़ाकों के कौशल को बढ़ाया जा सके।

### 4. 'फायर पार्क'

- कुछ दिनों पूर्व भारत का पहला फायर पार्क ओडिशा में स्थापित किया गया था।
- यह फायर पार्क भुवनेश्वर में ओडिशा फायर एंड डिजास्टर अकादमी के परिसर के अंदर स्थित है।
- इसमें अग्नि सुरक्षा से संबन्धित प्रणाली , अग्निशमन उपकरण, बचाव और आपदा संचालन इत्यादि की जांकरिया उपलब्ध कराई जाएंगी।
- ओडिशा के इस 'फायर पार्क' को अग्नि सुरक्षा उपायों पर जागरूकता लाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।
- यह फायर पार्क लोगों, विशेषकर छात्रों के बीच बुनियादी अग्नि सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता लाएगा।

### 5. अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र

- हाल ही में उत्तर प्रदेश के पिलखुवा में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण (Fire Safety Training) के लिए कौशल विकास केंद्र (Skill Development Centre -SDC) स्थापित किया गया है।
- अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र को दिल्ली स्थित डीआरडीओ के 'अग्नि, विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा प्रयोगशाला केन्द्र' (Centre for Fire] Explosive and Environment Safety-CFEES) द्वारा विकसित किया गया है।
- भारत में अपनी तरह का यह पहला कौशल विकास केंद्र (एसडीसी) है।

## आगे की राह

- गगनचुंबी इमारतों, व्यावसायिक भवनों सहित देश भर में स्थित प्रत्येक भवनों की फायर सेफ्टी ऑडिट (five Saftey audit) होनी चाहिए, ताकि आग लगने की घटना कम से कम हो साथ ही अग्निशमन यंत्रों की कार्यप्रणाली को समझने के लिए स्थानीय लोगों को सक्रिय सहयोग करने की आवश्यकता है।
- आग से संभावित खतरों की पहचान के लिए जोखिम मूल्यांकन (Risk Assessment) करने की आवश्यकता है।
- 10 लाख से अधिक आबादी वाले सभी नगर निगमों को आग से उत्पन्न खतरे को प्रतिक्रिया और शमन योजना को लागू करना चाहिए, जैसा कि 13वें वित्त आयोग ने सुझाया था।

**सामान्य अध्ययन पेपर-3**

**Topic:**

- आपदा और आपदा प्रबंधन।

**प्र. भारतीय शहरों में आग की बढ़ती घटनाएँ दर्शाती हैं कि अग्निशमन सेवाओं को और दुरुस्त करने की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।**

# 7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स

## 01 इसरो और नासा का संयुक्त सैटेलाइट मिशन 'निसार'

### 1. चर्चा का कारण

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट मिशन के लिए सिंथेटिक एपर्चर रडार (synthetic aperture radar-SAR) विकसित किया है। इस उपग्रह का नाम निसार रखा गया है, जो बेहद उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें लेने में सक्षम है।

### 2. निसार क्या है?

- निसार: यह नासा-इसरो एसएआर (NASA-ISRO-SAR) का संक्षिप्त नाम है। इस प्रकार यह पृथ्वी की सतह के निरीक्षण का संयुक्त मिशन है। नासा के मुताबिक, निसार पहला सैटेलाइट मिशन होगा, जिसमें दो अलग अलग रडार फ्रीक्वेंसी (एल बैंड व एस बैंड) से हमारे ग्रह की सतह पर एक सेंटीमीटर से भी कम दूरी में होने वाले बदलाव को मापा जा सकेगा।
- नासा और इसरो के बीच सितंबर 2014 में साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके अनुसार नासा उपग्रह के लिए एक रडार, विज्ञान डेटा के लिए एक उच्च दर संचार उपतंत्र, जीपीएस रिसीवर और एक पेलोड डेटा सबसिस्टम प्रदान करेगा। दूसरी ओर इसरो, अंतरिक्ष यान बस, दूसरे प्रकार के राडार (एस-बैंड रडार), लॉन्च वाहन और संबंधित लॉन्च सेवाओं को प्रदान करेगा। इस मिशन को 2022 की शुरुआत में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया जाएगा।

### 3. निसार के कार्य

- निसार (NISAR) नासा द्वारा लॉन्च किए गए अब तक के सबसे बड़े रिफ्लेक्टर एंटीना से लैस होगा और इसके प्राथमिक लक्ष्यों में पृथ्वी की सतह में सूक्ष्म परिवर्तन पर नजर रखना, सुनामी, भूकंप, भूस्खलन और ज्वालामुखी पर अत्यधिक स्थानिक डेटा प्रदान करना साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में भी मदद करना शामिल है। इसके अतिरिक्त भूजल आपूर्ति की निगरानी में मदद करना और बर्फ की चादरों के पिघलने की दर का अध्ययन करना इसका मुख्य कार्य है।
- यह सैटलाइट 40 फुट के तार के जाल वाले रडार रिफ्लेक्टर ऐंटेना का इस्तेमाल करेगी जो 30 फुट के बूम पर लगा होगा। इससे धरती की सतह से रेडार सिग्नल भेजे जाएंगे और रिसीव किए जाएंगे। निसार हर 12 दिन में पूरी धरती को स्कैन करेगा और यह एक टेनिस कोर्ट के आधे हिस्से में 0.4 इंच तक मूवमेंट तक को डिटेक्ट कर सकेगा। यह पहला ऐसा सैटलाइट मिशन होगा जो दो अलग-अलग रेडार फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेगा और धरती की सतह पर एक सेंटीमीटर दूर तक होने वाले बदलाव को माप सकेगा।
- हाई रेजॉलूशन रडार बादलों और घने जंगल के आर-पार भी देख सकते हैं। इस क्षमता से मिशन दिन हो या रात, बारिश हो या गर्मी, कोई भी बदलाव ट्रैक कर सकेगा।

### 4. नासा

- नासा (NASA) संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय सरकार की कार्यकारी शाखा की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ-साथ वैमानिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिये उत्तरदायी है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष अधिनियम, 1958 के तहत हुई थी। नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, (अमेरिका) में है।
- नासा का लक्ष्य वाक्य "भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज और एरोनॉटिक्स संशोधन को बढ़ाना" है।

### 5. इसरो

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organization-ISRO) भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय बंगलौर में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गयी थी।
- इस संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिये अंतरिक्ष सम्बधी तकनीक उपलब्ध करवाना है। अन्तरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में उपग्रहों, प्रमोचक यानों, परिज्ञापी राकेटों और भू-प्रणालियों का विकास शामिल है।


www.dhyeyaias.com

# 02 स्वेज नहर में परिचालन शुरू

### 1. चर्चा का कारण

- हाल ही में चीन से यूरोप जा रहा 400 मीटर लंबा माल वाहक जहाज 'एवर गिवेन' तेज हवा और रेतीले तूफान की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और जहाज स्वेज नहर में तिरछा होकर फंस गया था। इस कारण, इस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग के दोनों छोर पर जहाजों का एक बड़ा जाम लग गया था।

### 2. प्रमुख बिन्दु

- यह माल वाहक जहाज चीन से नीदरलैंड्स के बंदरगाह शहर रोटेरडम जा रहा था। इसी क्रम में ये जहाज उत्तर में भूमध्यसागर की ओर जाते समय स्वेज नहर से होकर गुजर रहा था। ताइवान के स्वामित्व वाला एमवी एवरगिवेन 400 मीटर लंबा और और 59 मीटर चौड़ा जहाज है।
- चूंकि यूरोप और एशिया के बीच व्यापार स्वेज नहर के जरिए होता है, ऐसे में इस जहाज के फँसने से भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच होने वाले व्यापार के प्रभावित होने की आशंका है।

### 3. जाम का असर

- जाम की वजह से 193 किलोमीटर लंबी नहर लगभग एक सप्ताह तक बंद पड़ी थी। नहर के दोनों तरफ कुल 250 से अधिक जहाज रास्ता खुलने का अब तक इंतजार कर रहे हैं। इन जहाजों में तेल, प्राकृतिक गैस, कार प्रोडक्ट्स, फरोजन फूड, कपड़े समेत कई बेहद जरूरी सामान लदे हैं। जाम की वजह से तेल और गैसों के दाम में बढ़ोत्तरी की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा, जर्मन कार फैक्ट्रियों का कामकाज ठप्प पड़ने का डर भी सता रहा है।
- विश्व व्यापार की रीढ़ के रूप में मशहूर स्वेज नहर दुनिया की मुख्य समुद्री क्रॉसिंग में से एक है। इससे दुनिया के कुल कारोबार का 12 फीसदी माल गुजरता है। स्वेज नहर में जाम लगने से विश्व व्यापार पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने लगता है।

### 4. स्वेज नहर महत्वपूर्ण क्यों?

- स्वेज नहर मिस्र में स्थित 193 किलोमीटर लंबी नहर है, जो कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यह एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा समुद्री लिंक है। यह जलमार्ग मिस्र में स्वेज इस्थमस (जलडमरूमध्य) को पार करती है। इस नहर में तीन प्राकृतिक झीलें शामिल हैं।
- दुनिया के पूर्वी और पश्चिमी भाग को आने-जाने वाले जहाज इसके पहले अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर मौजूद केप ऑफ गुड होप से होकर जाते थे, लेकिन इस जलमार्ग (1869 से सक्रिय) के बन जाने के बाद पश्चिमी एशिया के इस हिस्से से होकर यूरोप और एशिया को जहाज जाने लगे।
- विश्व समुद्री परिवहन परिषद के अनुसार इस नहर के बनने के बाद एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले जहाज को नौ हजार किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ती है। यह कुल दूरी का 43 फीसदी हिस्सा है।
- स्वेज नहर की स्थिति और इसके महत्व को देखते हुए इसे पृथ्वी के कुछ 'चोक पॉइंट' में से एक कहा जाता है। इसलिए वैश्विक समुदाय स्वेज नहर को वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और हर तरह के माल की आपूर्ति के लिए जरूरी मानता है। एक अनुमान के अनुसार स्वेज नहर से करीब 19 हजार जहाजों से हर साल 120 करोड़ टन माल की ढुलाई होती है।

### 5. केप ऑफ गुड होप

- केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के सुदूर दक्षिणी कोने पर एक स्थान है। यहाँ से बहुत से जहाज पूर्व की ओर अटलांटिक महासागर से हिन्द महासागर में जाते हैं। यह स्थान दक्षिण अफ्रीका में है। इस स्थान का एतिहासिक महत्व भी है। इस स्थान तक पहुँचने वाला सर्वप्रथम यूरोपीय व्यक्ति पुर्तगाल का बारटोलोमीयु डियास था।
- बारटोलोमीयु डियास ने इस स्थान को 1488 में देखा और इसका नाम "केप ऑफ स्टॉर्मस" (तूफानों का केप) रखा। इसी स्थान से होकर पुर्तगाली अन्वेषक वास्कोदिगामा भारत पहुँचा था।

# 03 'डबल म्यूटेंट' कोरोना वायरस वेरिएंट

### 1. चर्चा का कारण

- भारत में कोरोनावायरस का एक नया वेरिएंट मिला है जिसे डबल म्युटेंट का नाम दिया जा रहा है। यह महाराष्ट्र और दिल्ली कर्नाटक जैसे राज्यों में पाया जा रहा है, जिसकी वजह से कोरोना के नए मामले और मृत्यु की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है।

### 2. प्रमुख बिन्दु

- देश के 18 राज्यों में कई 'वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स' (VOCs) पाए गए हैं। इसका अर्थ है कि देश के कई हिस्सों में कोरोना वायरस के अलग-अलग प्रकार पाए गए हैं जो स्वास्थ्य पर हानिकारक असर डाल सकते हैं। इनमें ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील के साथ-साथ भारत में पाया गया नया 'डबल म्यूटेंट' वेरिएंट भी शामिल है।
- भारत में कलेक्ट किए गए सैंपल में कोरोना वायरस का एक नया डबल म्यूटेंट वेरिएंट मिला है। देश के 18 राज्यों के 10,787 सैंपल में कुल 771 वेरिएंट मिले हैं। इनमें 736 यूके, 34 साउथ अफ्रीकन और एक ब्राजीलियन है। जिन राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, वहां अलग म्यूटेशन प्रोफाइल का पता चला है। देश में पिछले छह-आठ महीने में सबसे ज्यादा फैलने वाले कोविड वेरिएंट में नए वेरिएंट शामिल हैं।
- कोरोना का डबल म्यूटेंट वेरिएंट करीब 15-20% सैंपल में मिला है। यह पहले से दर्ज किए गए वेरिएंट से मैच नहीं करता। इसे महाराष्ट्र के 206 सैंपल में पाया गया जबकि दिल्ली के नौ सैंपल में नागपुर में करीब 20% सैंपल इसी वेरिएंट के हैं। विशेषज्ञों का हालांकि कहना है कि इस 20% को सभी मामलों से जोड़कर देखना संभव नहीं है।

### 3. क्या होता है वेरिएंट?

- किसी भी वायरस का एक जेनेटिक कोड होता है। यह एक तरह का मैनुअल है, जो वायरस को बताता है कि उसे कब, क्या और कैसे करना है। वायरस के जेनेटिक कोड में लगातार छोटे-छोटे बदलाव होते रहते हैं। अधिकतर बदलाव बेअसर होते हैं मगर कुछ बदलाव की वजह से वायरस तेजी से फैलने लगता है या घातक हो जाता है। इसी बदले हुए वायरस को वेरिएंट कहते हैं।
- दूसरे शब्दों में कहें तो वायरस जब रिप्रोड्यूस करता है तो वह परफेक्ट नहीं होता है और वही म्यूटेशन होता है। और जब उस म्यूटेशन का हम पर असर होता है तो उसे वेरिएंट कहते हैं।
- वायरस की यह नई किस्म शरीर के इम्यून सिस्टम से बचकर संक्रामकता को बढ़ाता है।

### 4. कितने खतरनाक हैं कोरोना के ये वेरिएंट?

- भारत में जो अबतक कोरोना वायरस के मामले सामने आए थे, वो SARS-CoV-2 वेरिएंट के थे। लेकिन जो दो नए म्यूटेंट वेरिएंट मिले हैं उनका नाम E484Q and L452R है। जो यूके से संबंधित हैं। दिसंबर 2020 के बाद से ही महाराष्ट्र में इससे संबंधित केस बढ़े हैं।
- इस तरह के म्यूटेंट इम्युन सिस्टम को कमजोर करते हैं और संक्रमण को फैलाते हैं। करीब 20 फीसदी मामलों में ये दो म्यूटेंट ही पाए गए हैं, यही कारण है कि चिंता बढ़ रही है। सरकार ने इन मामलों को काबू में पाने के लिए फिर से टेस्ट-ट्रैक और ट्रीट की नीति अपनाने का निर्देश दिया है।

### 5. वेरिएंट ऑफ कंसर्नः

- वेरिएंट ऑफ कंसर्न ऐसे वेरिएंट हैं जो संक्रामकता में वृद्धि करते हैं। ये वेरिएंट पिछले संक्रमण या टीकाकरण में कम एंटीबॉडी के निर्माण, उपचार या टीके की कम प्रभावशीलता या लक्षणों का सही से पता लगाने की विफलता के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं।

### 6. जीनोम सीक्वेंसिंग

- जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरह से किसी वायरस का बायोडाटा होता है। कोई वायरस कैसा है, किस तरह दिखता है, इसकी जानकारी जीनोम से मिलती है। इसी वायरस के विशाल समूह को जीनोम कहा जाता है। वायरस के बारे में जानने की विधि को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। इससे ही कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में पता चला है।

### 7. भारतीय सार्स सीओवी-2 जीनोमिक कंसोर्टिया (INSACOG)

- देश में कोरोना वायरस की समूची 'जीनोम सीक्वेंसिंग'के विस्तार और यह समझने के लिए भारतीय सार्स-कोव-2 जीनोमिक्स INSACOG कंसोर्टियम स्थापित किया गया है। प्छै।ब्ळ जीनोम सिक्वेंसिग वायरस के फैलने की जांच कर रहा है।

# 04 कोविड–19 महामारी के कारण 3.2 करोड़ भारतीय मध्यम वर्ग से बाहर

## 1. चर्चा का कारण

- हाल ही में अमेरिका स्थित प्रतिष्ठित थिंक टैंक 'प्यू रिसर्च सेंटर' द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी ने भारत में 3 करोड़ 20 लाख लोगों को मध्य वर्ग से बाहर कर दिया है। ज्ञातव्य है कि ये रिपोर्ट विश्व बैंक के आँकड़ों पर आधारित है।

## 2. रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु भारत के संदर्भ में

- मध्य आय समूह की संख्या पहले जहां 10 करोड़ थी वो अब घटकर 6.6 करोड़ हो गई है।
- जनवरी 2020 में भारत मे गरीबी लगभग 4.3प्रतिशत थी जो जनवरी 2021 में बढ़कर 9.7% हो गई है।
- विदित हो कि भारत में गरीबों कि संख्या वर्ष 2011में 340 मिलियन थी जो वर्ष 2019 में घटकर 78 मिलियन हो गई थी। लेकिन कोविड-19 के कारण गरीबों की संख्या में वर्ष 2020 में 75 मिलियन की वृद्धि दर्ज की गई है।
- इस प्रकार देखा जाए तो कुल वैश्विक गरीबी में वृद्धि का लगभग 60% वृद्धि केवल भारत में हुई है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोविड महामारी के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत नामाँकन में अत्यधिक वृद्धि देखी गई।
- वहीं भारत की निम्न आय वर्ग की बात की जाए तो इस समूह में 3.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। उल्लेखनीय है कि भारत में गरीब जनसंख्या पहले 119.7 करोड़ थी जो अब घटकर 116.2 करोड़ हो गई है। उच्च आय वर्ग की बात की जाए तो इस वर्ग की आबादी भी लगभग 30प्रतिशत से कम हो कर 1.8 करोड़ हो गई।
- भारत का चीन से तुलना की जाए तो चीन विश्व में एकमात्र ऐसा देश रहा है जहाँ गरीबी की दर लगभग अपरिवर्तित रही। यही वजह है कि वर्ष 2020 में वृद्धि करने वाली एकमात्र अर्थव्यवस्था थी
- प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार कोविड-19 मंदी में चीन की तुलना में भारत में मध्यम वर्ग में अधिक कमी और गरीबी में बहुत अधिक वृद्धि देखी गई है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2021 में अपनी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (World Economic Outlook) में कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2020 में 8% का संकुचन हुआ है, जबकि इस दौरान चीन की अर्थव्यवस्था में 2.3% की दर से वृद्धि दर्ज की गई।

## 3. वैश्विक के संदर्भ में

- प्यू सेंटर के अनुमान के अनुसार प्रत्येक दिन दो डॉलर या उससे कम आय वाले गरीब लोगों की संख्या 7.5 करोड़ बढ़ गई है
- अध्ययन के मुताबिक पिछले साल दुनिया में मध्यम वर्ग की आबादी 9 करोड़ से गिरकर करीब 2.5 अरब रह गई। इससे दुनिया में गरीबों की संख्या में 13.1 करोड़ का इजाफा हुआ है।
- जनवरी 2020 में वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकॉनमी में 2.5 फीसदी तेजी का अनुमान जताया था, लेकिन अब इसका अनुमान है कि इसमें 4.3 फीसदी की गिरावट आई है।
- अध्ययन के मुताबिक महामारी के कारण 6.2 करोड़ हाई इनकम ग्रुप के लोग मिडल क्लास कैटगरी में आ गए। इससे साफ है कि 15 करोड़ से अधिक लोग मिडल क्लास कैटगरी से बाहर हुए हैं। यह संख्या फ्रांस और जर्मनी की संयुक्त आबादी से अधिक है।
- रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशिया, ईस्ट एशिया और पैसिफिक में मिडल क्लास की आबादी में गिरावट आई है।
- 1990 के दशक के बाद यह पहला मौका है जब दुनिया में मिडल क्लास की आबादी में गिरावट आई है। प्यू के मुताबिक 2011 में दुनिया में मिडल क्लास की आबादी 13 फीसदी थी जो 2019 में बढ़कर 19 फीसदी हो गई है।

## 4. प्यू रिसर्च सेंटर

- प्यू रिसर्च सेंटर विश्व को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों, दृष्टिकोणों और रुझानों पर उपलब्ध आँकड़ों का निष्पक्ष विश्लेषण कर लोगों के सामने प्रस्तुत करता है।
- इसकी स्थापना 2004 में एण्ड्रयू कोहुट ने की थी। इसके अध्यक्ष माइकल डीमोक हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन D.C (संयुक्त राष्ट्र अमेरिका) में है।

## 5. अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- निम्न वर्ग-भारत के संदर्भ में एक दिन में 2 अमेरिकी डॉलर या उससे कम कमाने वाले लोगों को गरीबी की श्रेणी में रखा जाता है।
- मध्यम वर्ग- रोजाना 10 से 20 डॉलर तक की कमाई करने वालों को मिडल क्लास में गिना जाता है।इस समूह में प्रतिदिन 50 से 700 रुपए तक कमाने वाले लोग आते हैं।
- अमीर वर्ग उच्च आय समूह में ऐसे लोग आते हैं जिनकी रोजाना इनकम 50 डॉलर या उससे अधिक होती है। इसमें वे लोग शामिल हैं जो प्रतिदिन 1500 डालर से अधिक कमाते हैं।

# 05 गांधी शांति पुरस्कार

### 1. चर्चा का कारण

- वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान तथा वर्ष 2019 के लिए ओमान के दिवंगत सुल्तान, काबूस बिन सईद अल सैद को प्रदान किया गया है।

### 2. गांधी शांति पुरस्कार

- गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है जिसे 1995 से प्रदान किया जा रहा है। इस पुरस्कार की स्थापना महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर की गई थी।
- इस पुरस्कार के तहत 1 करोड़ की राशि, एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और पारंपरिक हस्तकला/हथकरघा से बनी वस्तु दी जाती है।
- यह वार्षिक पुरस्कार व्यक्तियों और संस्थानों को अहिंसा और अन्य गांधीवादी आदर्शों के माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में उनके योगदान हेतु दिया जाता है। इसमें एक करोड़ रुपये नकद राशी, एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है।
- पुरस्कार सभी व्यक्तियों के लिए खुला है चाहे उनकी राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या लिंग कोई भी हो।

### 3. गांधी शांति पुरस्कार के लिए जूरी

- गांधी शांति पुरस्कार के लिए जूरी की अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की जाती है। इसमें दो पदेन सदस्य होते हैं, जिनमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल हैं। दो प्रतिष्ठित सदस्य भी जूरी का हिस्सा होते हैं, इनमें लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, और सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन के संस्थापक श्री बिंदेश्वर पाठक शामिल हैं।

### 4. शेख मुजीबुर रहमान

- 'बंगबंधु' के नाम से प्रसिद्ध शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के 'जतिर पिता अर्थात् 'राष्ट्रपिता' के रूप में भी जाने जाते हैं। शेख मुजीबुर रहमान का जन्म अविभाजित भारत के गोपालगंज जिले के तुंगीपारा गाँव (वर्तमान बांग्लादेश) में 17 मार्च, 1920 को तथा निधन 15 अगस्त, 1975 को ढाका, बांग्लादेश में हुआ। वह बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री (1972-75) थे जो वर्ष 1975 में वहाँ के राष्ट्रपति भी बने। उन्होंने अपने औपचारिक राजनीतिक जीवन की शुरुआत वर्ष 1949 में अवामी लीग के सह-संस्थापक के रूप में की थी। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) के लिये राजनीतिक स्वायत्तता की वकालत की और यही हिस्सा आगे चलकर बांग्लादेश बना। उन्होंने अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन लाने में उत्कृष्ट योगदान दिया। वे मानव अधिकारों और स्वतंत्रता के पक्षधर थे। गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के मुक्ति अभियान में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के अपार और अतुलनीय योगदान को मान्यता देता है। उन्हें यह पुरस्कीार उनके अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए उनके उत्कृष्टा योगदान के लिए दिया जाएगा।

### 5. काबूस बिन सैद अल सैद

- ओमान के (दिवंगत) सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद (Sultan Qaboos bin Said Al Said) को भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने और खाड़ी क्षेत्र में शांति तथा अहिंसा को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों को मान्यता देने के लिए गांधी शांति पुरस्कार 2019 को प्रदान किया गया है। सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद 18 नवंबर 1940 को पैदा हुए थे और 23 जनवरी 1970 में वह ओमान के सुल्तान बनें तथा 10 जनवरी 2020 को निधन तक वह इस पद पर बने रहे। अपनी मौत के समय वह अरब दुनिया में सबसे लम्बे समय तक देश के सर्वोच्च पद पर बने रहने वाले नेता थे। उन्होंने इंग्लैंड के सफलॉक में पढ़ाई की और कुछ समय तक ब्रिटिश सेना में भी रहे। 1970 में ब्रिटेन की मदद से उन्होंने अपने पिता को सत्ता से बेदखल कर दिया उन्हें ओमान के सुल्तान की पदवी मिली और यहां से उनका शासन शुरू हुआ।

# 06 भारत–ताइवान सम्बन्धों में नई ऊर्जा

## 1. चर्चा का कारण

- इस वर्ष भारत और ताइवान अपनी साझेदारी के 25 वर्ष मना रहे हैं। हालाँकि दोनों देशों के मध्य बढ़ते सम्बन्धों को पूर्व में बहुत कम महत्व दिया गया था इसका मुख्य कारण भारत सार्वजनिक रूप से सुधार संबंधी समझौतों को स्वीकार करने में संकोच करता रहा है। अब समय आ गया है कि भारत-ताइवान संबंधों को पुनर्गठित किया जाए।

## 2. भारत-ताइवान संबंधों की आवश्यकता

- **राजनीतिक सुदृढीकरण-** दोनों देशों के मध्य राजनीतिक सुदृढीकरण के लिए एक शर्त ये है कि दोनों साझेदारों ने सामूहिक विकास के प्रमुख सिद्धांतों के रूप में लोकतंत्र और विविधता के खुलेपन के परस्पर सम्मान को गहरा किया है। स्वतंत्रता, मानवाधिकार, न्याय और कानून के शासन में साझा विश्वास उनकी भागीदारी को और मजबूत करता है। इस रिश्ते को और अधिक सार्थक बनाने के लिए, दोनों पक्ष एक निश्चित समय सीमा में एक रोड मैप बनाने के लिए सशक्त व्यक्तियों के समूह का गठन कर सकते हैं या टास्क फोर्स बना सकते हैं।
- **स्वास्थ्य क्षेत्र-** विदित है कि भारत और ताइवान पहले से ही पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग करते रहे हैं। वर्तमान समय में भी दोनों देशों के लिए स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सहयोग को और विस्तार करना समय की मांग है। इसके अलावा, नई दिल्ली और ताइपे भी जैविक खेती के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान और विकास की पहल कर सकते हैं।
- भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण, पेट्रोकेमिकल, मशीन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा ऑटो पार्ट्स के क्षेत्र में लगभग 200 ताइवानी कंपनियां कार्यरत हैं।
- दिल्ली और ताइपे के बीच आपसी प्रयासों ने कृषि, निवेश, सीमा शुल्क सहयोग, नागरिक उड्डयन, औद्योगिक सहयोग और अन्य क्षेत्रों को मजबूत करने वाले कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं। जिस पर दोनों देशों को आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
- वर्ष 2000 में भारत और ताइवान के बीच कुल 1 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था, वहीं वर्ष 2019 में यह बढ़कर 7.8 बिलियन डॉलर पर पहुँच गया है। वर्ष 2020 में इसे 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
- ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (TSMC) एक बहुराष्ट्रीय विनिर्माण और डिजाइन कंपनी है। यह ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी है और दुनिया भर में सबसे मूल्यवान सेमीकंडक्टर का निर्माण करती है।
- इसके अलावा ताइवान हार्डवेयर विनिर्मान, निर्माण खदान अन्वेषण, एलेक्ट्रॉनिक एवं आटोमोबाइल आदि के क्षेत्र अग्रणी है। वहीं भारत सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाता है। इन दोनों के सहयोग के माध्यम से मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, तथा कौसल विकास पहल की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

## 3. चुनौतियां

- भारत और ताइवान के मध्य व्यापारिक समझौते के प्रमुख अवरोध के रूप में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को लेकर जारी वार्ता में की जाने वाली देरी है जो कई वर्षों से चल रही है। इसे कार्यान्वित किए जाने कि अभी भी कोई व्यापक संभावना नहीं है।
- दोनों देशों के मध्य व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने में टैक्स संरचना भी एक प्रमुख चुनौती है। कुछ समय पूर्व ही जापान के साथ ताइवान विश्व व्यापार संगठन के विवाद निवारण (Dispute Settlement Panel) में भारत के टैरिफ संरचना के विरुद्ध अपील की गई है।
- दोनों देशों के मध्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा समेत अन्य वाणिज्य नियमों को भी लेकर गतिरोध हैं क्योंकि आर्थिक नीतियों के संदर्भ में भारत की तुलना में ताइवान के कानून और नियम काफी उदार हैं।
- **ताइवान के बारे में-** ताइवान पूर्वी एशिया का एक द्वीप है। तकरीबन 36,197 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस द्वीप की आबादी 23.59 बिलियन के आस-पास है। ताइवान की राजधानी ताइपे है जो कि ताइवान के उत्तरी भाग में स्थित है। ताइवान में बहु-दलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मंदारिन (Mandarin) ताइवान में राजकीय की भाषा है।

## 4. निष्कर्ष

- भारत को इस अवसर का लाभ उठाते हुए मुक्त व्यापार संधि ना सही लेकिन जनरल ट्रेड एग्रीमेंट किया जाना चाहिए क्योंकि ताइवान का अन्य कई देशों के साथ व्यापारिक संबंध पहले से ही है। भारत को चीन को नजरअंदाज कर ताइवान के साथ ट्रेड डील को आगे बढ़ाना चाहिए। जहां ताइवान को एक भारत जैसा विस्तृत बाजार प्राप्त होगा तो वही ताइवान की कंपनियों के विनिर्माण स्थल के रूप में भारत एक शीर्ष गतवन्य स्थल हो सकता है। वहीं दूसरी ओर भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश समेत चीन के व्यापार पर अत्यधिक निर्भरता को हस्तांतरित करने में मदद मिलेगी।दोनों देशों के बीच सहयोग और संबंध बनाने के लिए बहुत कुछ है। जरूरत है रिश्ते को फिर से जीवंत करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति की।

# 07 केन–बेतवा लिंक परियोजना

## 1. चर्चा का कारण

- हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश की पहली महत्त्वाकांक्षी नदी जोड़ो परियोजना (केन-बेतवा लिंक) के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किएहैं। ज्ञातव्य है की इस परियोजना के लिये दोनों राज्यों ने विश्व जल दिवस (22 मार्च) के मौके पर केंद्र के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

## 2. क्या है परियोजना?

- राष्ट्रीय नदी विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) द्वारा देश में प्रस्तावित 30 नदी जोड़ो परियोजनाओं में से एक केन-बेतवा लिंक परियोजना भी है। इसकी अनुमानित लागत लगभग 45000 करोड़ है, जिसका 90 फीसद केंद्र सरकार वहन करेगी। इस परियोजना में केन नदी से बेतवा नदी में पानी पहुंचाया जाएगा। इसके लिए 77 मीटर लंबा और 2 किमी. चौड़ा दाऊधन डैम बनाया जाएगा एवं 230 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण कार्य शामिल है। एक नहर के जरिए दोनों नदियों को जोड़ा जाएगा।
- इस परियोजना में मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिले हैं तो उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिले शामिल हैं।
- मध्य प्रदेश में छतरपुर व पन्ना जिलों की सीमा पर केन नदी के मौजूदा गंगऊ बैराज के अपस्ट्रीम में 2.5 किमी की दूरी पर डोढ़न गांव के पास एक 73.2 मीटर ऊंचा ग्रेटर गंगऊ बांध बनाया जाएगा। कंक्रीट की 212 किमी लंबी नहर द्वारा केन नदी का पानी उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बेतवा नदी पर स्थित बरुआ सागर में डाला जाएगा।

## 3. परियोजना से लाभ

- इस परियोजना के अमल में आने से बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखे की समस्या से निपटना आसान होगा। किसानों की आत्महत्या पर अंकुश लगेगा,भूजल पर अत्यधिक निर्भरता कम होगी तथा किसानों की आजीविका सुनिश्चित होगी।
- इससे जल संरक्षण में तेजी आएगी,103 मेगावाट जल-विद्युत उत्पादन होगा तथा लगभग 62 लाख लोगों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
- विशेषज्ञों के अनुसार पन्ना बाघ अभयारण्य के जल संकट वाले क्षेत्रों में बांधों का निर्माण होने से इस रिजर्व के जंगलों का जीर्णोद्धार होगा जिससे इस क्षेत्र में जैव विविधता भी समृद्ध होगी।
- केन नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर करीब 427 किमी उत्तर की ओर बहते हुए बांदा जिले के चिल्ला गांव में यमुना नदी से मिलती है। इसी तरह बेतवा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलकर करीब 576 किमी बहकर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना से मिलती है। उल्लेखनीय है कि राजघाट, पारीछा और माताटीला बाँध बेतवा नदी पर निर्मित हैं। केन नदी पन्ना बाघ अभयारण्य से होकर गुजरती है।

## 4. चुनौतियाँ

- यह पन्ना बाघ अभयारण्य के बड़े मार्ग को जलमग्न कर देगा। सरकार के अनुमान के अनुसार, इस परियोजना से लगभग 4,200 हेक्टेयर भूमि बह जाएगी।
- यह परियोजना जंगल के साथ केन नदी के सहजीवी संबंध को बिगाड़ देगा, क्योंकि केन नदी इस क्षेत्र के जैव विविधता का पोषण करती है, इसके आलवा जंगलों में पेड़ों की जड़ें और पत्तियां पानी रखती हैं और नदी के जलभरों (aquifers) को रिचार्ज करती हैं।
- एक नदी के पानी को दूसरे में स्थानांतरित करने का विचार विज्ञान द्वारा समर्थित नहीं होना भी एक चुनौती है।
- वहीं दूसरी ओर योजना में पारिस्थितिक रूप से लागत-लाभ विश्लेषण की जांच नहीं की गई है?
- यही कारण है कि 2019 में, सर्वोच्च न्यायालय की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की एक रिपोर्ट ने परियोजना की व्यवहार्यता पर सवाल उठाया।

## 5. राष्ट्रीय नदी जोड़ों परियोजना (NRLP)

- यह एक बड़े पैमाने पर प्रस्तावित सिविल इंजीनियरिंग परियोजना है। इसकी शुरूआत वर्ष 2005 में हुई थी। औपचारिक रूप से इसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP) के रूप में जाना जाता है।
- **राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना (NRLP)**- राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना (NRLP) कमी का मुख्य उद्देश्य सूखाग्रस्त एवं वर्षा वाले क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बढ़ाकर, ऐसे क्षेत्रों में पानी का अधिकाधिक वितरण सुनिश्चित करना है। यह परियोजना का प्रबंधन राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA) द्वारा किया जाना है।
- **राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA)**- राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना 17 जुलाई, 1982 को भारत सरकार द्वारा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत की गई। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है। इसकी स्थापना विभिन्न प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियों और हिमालयी नदी प्रणालियों में पानी की मात्रा के बारे में विस्तृत अध्ययन करने के उद्देश्य से की गई थी।

# 7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

## 01 इसरो और नासा का संयुक्त सैटेलाइट मिशन 'निसार'

**प्र. संयुक्त सैटेलाइट मिशन 'निसार' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. 'निसार' नासा और इसरो (NASA-ISRO) का संक्षिप्त नाम है।
2. यह पहला सैटेलाइट मिशन है, जिसमें दो अलग-अलग राडार फ्रीक्वेंसी लगा है।
3. इससे एक सेंटीमीटर से भी कम दूरी में होने वाले बदलाव को मापा जा सकेगा।

**उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?**

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 2 (d) 1, 2 और 3

**उत्तरः (c)**

**व्याख्या** : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट मिशन के लिए सिंथेटिक एपर्चर रडार विकसित किया है। जो बेहद उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें लेने में सक्षम है। इस उपग्रह का नाम 'निसार' रखा गया है। निसार के संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अतः उत्तर (d) होगा।

## 03 स्वेज नहर में परिचालन शुरू

**प्र. स्वेज नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. स्वेज नहर मिस्र में स्थित 193 किमी. लंबी नहर है।
2. यह भूमध्य-सागर को लाल सागर से जोड़ती है।
3. यह एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटी समुद्री लिंक है।

**उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?**

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) 1, 2 और 3 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

**उत्तरः (c)**

**व्याख्या** : हाल ही में चीन से यूरोप जा रहा 400 मीटर लम्बा माल वाहक जहाज एवर गिवेन तेज हवा और रेतीले तूफान की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और जहाज 'स्वेज' नहर में तिरछा होकर फंस गया था, जिससे इस नहर में दोनों तरफ जाम लग गया था। स्वेज नहर के संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही है। अतः उत्तर (c) होगा।

## 03 'डबल म्यूटेंट' कोरोना वायरस वेरिएंट

**प्र. 'डबल म्यूटेंट' कोरोना वायरस वेरिएंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. इस वायरस के जेनेटिक कोड में लगातार छोटे-छोटे बदलाव होते हैं।
2. वायरस जब रिप्रोड्यूस करता है तो वह परफेक्ट नहीं होता है और वही म्यूटेशन होता है।
3. वायरस की यह नई किस्म शरीर के इम्यून सिस्टम से बचकर संक्रामकता को बढ़ाता है।

**उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?**

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) उपरोक्त सभी (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

**उत्तरः (c)**

**व्याख्या** : भारत में कोरोनावायरस का एक नया वेरिएंट मिला है, जिसे डबल म्युटेंट का नाम दिया जा रहा है। डबल म्यूटेंट के संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अतः उत्तर (c) होगा।

## 04 कोविड-19 महामारी के कारण 3.2 करोड़ भारतीय मध्यम वर्ग से बाहर

**प्र. प्यू रिसर्च सेंटर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. प्यू रिसर्च सेंटर की स्थापना वर्ष 2004 में एण्ड्रयू कोहट ने की थी।
2. इसका मुख्यालय वाशिंगटन D.C (संयुक्त राष्ट्र अमेरिका) में है।
3. यह विश्व को प्रभावित करने वाला विभिन्न मुद्दों, दृष्टिकोणों और रूझानों पर उपलब्ध आँकड़ों का निष्पक्ष विश्लेषण कर लोगों के सामने प्रस्तुत करता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1 और 2

(c) 1, 2 और 3 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

**उत्तरः (c)**

**व्याख्या :** हाल ही में अमेरिका स्थित प्रतिष्ठित थिंक टैंक 'न्यू रिसर्च सेंटर' द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण 3.2 करोड़ भारतीय मध्यम वर्ग से बाहर हो गये हैं। न्यू रिसर्च सेंटर के संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अतः उत्तर (c) होगा।

## 05 गाँधी शांति पुरस्कार

**प्र.** गाँधी शांति पुरस्कार के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन कीजिए-

(a) गाँधी शांति पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी।

(b) वर्ष 2020 के लिए गाँधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया गया है।

(c) वर्ष 2019 के लिए यह पुरस्कार ओमन के दिवंगत सुल्तान, काबूस बिन सईद अल सैद को प्रदान किया गया है।

(d) इस पुस्तक के तहत 1 करोड़ की राशि, प्रशस्ति पत्र आदि प्रदान किए जाते हैं।

**उत्तरः (a)**

**व्याख्या :** हाल ही में वर्ष 2020 के लिए गाँधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान तथा वर्ष 2019 के लिए ओमान के दिवंगत सुल्तान, काबूस बिन सईद अल सैद को प्रदान कियाग या है। ज्ञातव्य है कि गाँधी शांति पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी न कि 1985 में। इस प्रकार विकल्प (a) गलत है। इस संदर्भ में शेष विकल्प सही हैं।

## 06 भारत-ताइवान संबंधों में नई ऊर्जा

**प्र.** भारत-ताइवान संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस वर्ष भारत और ताइवान अपनी साझेदारी के 25 वर्ष मना रहे हैं।

2. ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड दुनिया भर में सबसे मूल्यवान सेमीकंडक्टर का निर्माण करती है।

3. वर्ष 2000 में भारत और ताइवान के बीच में 1 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) उपरोक्त सभी (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

**उत्तरः (c)**

**व्याख्या :** हाल ही में भारत-ताइवान संबंधों के 25 वर्ष पुरे हुए हैं। इसलिए भारत और ताइवान अपने साझेदारी का रजत जयंती मना रहे हैं। भारत-ताइवान संबंधों के संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। इसलिए उत्तर (c) होगा।

## 07 केन-बेतवा लिंक परियोजना

**प्र.** केन-बेतवा लिंक परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. केन-बेतवा लिंक परियोजना देश में प्रस्तावित 30 नदी जोड़ों परियोजनाओं में से एक केन-बेतवा लिंक परियोजना भी है।

2. इस परियोजना का 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार वहन करेगी।

3. इसकी अनुमानित लागत 90,000 करोड़ है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) उपरोक्त तीनों (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

**उत्तरः (a)**

**व्याख्या :** हाल ही में उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश की पहली महत्त्वाकांक्षी नदी जोड़ों परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना की अनुमानित लागत 45000 करोड़ है न कि 90,000 करोड़ इसलिए कथन (3) गलत है। केन-बेतवा लिंक परियोजना के संदर्भ में शेष दोनों कथन सही हैं अतः उत्तर (a) होगा।

# 7 महत्वपूर्ण खबरें

## 01 कोविड-19 जैसी महामारी से निपटने के लिये एक अन्तरराष्ट्रीय सन्धि की पेशकश

### चर्चा में क्यों?

- दुनिया की अनेक हस्तियों ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक के इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा की खातिर, भविष्य में कोविड-19 जैसी महामारियों की रोकथाम व उनसे निपटने की तैयारियों के लिये, एक अन्तरराष्ट्रीय सन्धि वजूद में आनी चाहिये।

### इस संधि की आवश्यकता क्यों?

- इस लेख में कहा गया है कि विश्व को एकजुट होकर, महामारियों के बारे में अनुमान लगाने, उनकी रोकथाम, उनका पता लगाने, उनका आकलन व विश्लेषण करने और उनकी रोकथाम करने की तैयारियों में, उच्च दर्जे का तालमेल व एकजुटता दिखानी होगी।"
- प्रस्तावित सन्धि, विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान से जन्म लेगी और उसका मकसद, भविष्य में होने वाली महामारियों के खिलाफ पुख्ता इन्तजाम करने के लिये, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक क्षमताओं को मजबूत करने के लिये एक वृहद ढाँचा तैयार करना होगा।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर 'टैड्रॉस ऐडहेनॉम घेबरेयेस' के साथ, अभी तक इस मुद्दे पर समर्थन व्यक्त करने वाली विश्व हस्तियों में-अल्बानिया, चिली, कोस्टारीका, योरोपीय काउंसिल, फिजी, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इण्डोनेशिया, इटली, केनया, नीदरलैण्ड, नॉर्वे, पुर्तगाल, कोरिया गणराज्य, रोमानिया, रवाण्डा, सेनेगल, सर्बिया, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, थाईलैण्ड, त्रिनिदाद और टोबैगो, ट्यूनीशिया, ब्रिटेन और यूक्रेन के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- इन विश्व हस्तियों ने कहा है, कि "ऐसे समय में, जबकि कोविड-19 ने, हमारी कमजोरियों और विभाजनों का अनुचित फायदा उठाया है, हमें इस मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए, शान्तिपूर्ण सहयोग के लिये एक वैश्विक समुदाय के रूप में एकजुट होना होगा, जो इस संकट के बाद के समय में भी जारी रहे।"

- महामारी ने मानवता का सर्वश्रेष्ठ और सबसे बुरा-रूप उजागर किया है। साथ ही इस महामारी ने समाजों में व्याप्त विषमताओं, भूराजनैतिक गलतियों और सार्वजनिक संस्थानों में कमजोर होते भरोसे को भी सामने ला दिया है। "हमारे समाजों, अर्थव्यवस्थाओं और स्वास्थ्य पर, विशेष रूप में निर्धनों और कमजोर हालात में रहने वाले लोगों पर, महामारी का असर बहुत ज्यादा हुआ है।"

### इस संधि से लाभ

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टैड्रॉस ऐडहेनॉम घेबरेयेस ने प्रस्तावित सन्धि के बारे में और ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि इस सन्धि से अन्तरराष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों (IHR) को लागू करने में मजबूती मिलेगी, साथ ही, इससे अन्तरराष्ट्रीय सहयोग और एकजुटता के लिये एक ढाँचा भी उपलब्ध होगा।
- इस सन्धि के जरिये, महामारियों और अन्य स्वास्थ्य आपदाओं से निपटने के लिये सहनक्षमता विकसित करने में मदद मिलेगी।
- इसके तहत, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तरों पर, तैयारी व्यवस्थाएँ बनाई जाएगी जिनमें, महामारी का मुकाबला करने के लिये, सही समय पर, सही कार्रवाई करने वाले उपायों की उपलब्धता सभी के लिये सुनिश्चित की जा सकेगी।
- इनमें वैक्सीन, टिकाऊ वित्तीय सहायता और महामारियों की रोकथाम, जाँच, और फैलाव का मुकाबला करना व आपसी भरोसे को बढ़ावा देना शामिल होगा।

### निष्कर्ष

- यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के मुखिया डॉक्टर टैड्रॉस ने कहा कि ऐसी किसी भी सन्धि के बारे में, अन्तिम फैसला सदस्य देश ही करेंगे। उन्होंने कहा, "इस तरह की कोई सन्धि कैसे तैयार की जाएगी और उसका रूप क्या होगा, और उसे किस तरह मंजूरी मिलेगी, इस बारे में अन्ततः सदस्य देश ही निर्णय लेंगे- दुनिया के राष्ट्र" "हमें, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिये एक अच्छी विरासत छोड़नी होगी अर्थात सभी के लिये ज्यादा सुरक्षित दुनिया।"

## 02 9वाँ हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन

### चर्चा में क्यों?

- हाल ही में ताजिकिस्तान के दुशानबे में हार्ट ऑफ एशिया-इस्तानबुल प्रोसेस (एचओए-आईपी) का 9वाँ मंत्रीस्तरीय सम्मेलन सम्पन्न हुआ। इसमें भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भाग लिया।

### महत्वपूर्ण बिन्दु

- भारत के विदेश मंत्री ने तजाकिस्तान के दुशानबे में हार्ट ऑफ एशिया इस्तानबुल प्रोसेस (एचओए-आईपी) के 9 वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपना व्यक्तव्य दिया। उनके संबोधन के महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित है-
- स्थिर, संप्रभु और शांतिपूर्ण अफगानिस्तान वास्तव में हमारे देश में शांति और प्रगति का आधार है। अफगानिस्तान को आतंकवाद, हिंसक अतिवाद और ड्रग एवं आपराधिक सिंडिकेट से मुक्त करना एक सामूहिक अनिवार्यता" है। इस क्षेत्र में प्रगति के लिए स्थिर अफगानिस्तान का होना अत्यंत आवश्यक है।
- 2020 में अफगानिस्तान में 2019 की तुलना में हिंसा में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अफगानिस्तान में विदेशी लड़ाकों की निरंतर भागीदारी विशेष रूप से परेशान करने वाली है इसलिए, हार्ट ऑफ एशिया के सदस्यों और सहायक देशों को हिंसा में तत्काल कमी लाने हेतु एक स्थायी और व्यापक संघर्ष विराम के लिए इसे प्राथमिकता देना चाहिए।
- अफगानिस्तान में एक स्थायी शांति के लिए, हमें एक वास्तविक 'दोहरी शांति' की आवश्यकता है, अर्थात अफगानिस्तान के भीतर शांति और अफगानिस्तान के आसपास शांति। इसके लिए उस देश के भीतर और आसपास, दोनों के हितों के सामंजस्य की आवश्यकता है।
- भारत अफगान सरकार और तालिबान के बीच बातचीत को तेज करने के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन करता है, जिसमें अंतर-अफगान वार्ता भी शामिल है। हालांकि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि तालिबान को मुख्यधारा से जोड़ने के साथ, महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर भी विशेष ध्यान दिया जाये।
- भारत ने अफगानिस्तान के विकास और पुनर्निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया। अफगानिस्तान के लिए 3 बिलियन यू.एस. डॉलर की विकास साझेदारी, जिसमें सभी 34 प्रांतों को कवर करने वाले 550 से अधिक सामुदायिक विकास परियोजनाएं (काबुल में अधिक पेयजल का वादा उस सूची में नवीनतम है) शामिल हैं।
- ईरान में चाबहार पोर्ट और भारत तथा अफगानिस्तान के शहरों के बीच समर्पित एयर फ्रेट कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं हमारे प्रयासों का हिस्सा हैं। भारत द्वारा अफगानिस्तान के विकास और पुनर्निर्माण के लिए प्रतिबद्धता का उद्देश्य अफगानिस्तान को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है।

### हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के बारे में

- इसकी स्थापना 2 नवंबर 2011 को इस्तांबुल तुर्की में हुई थी। इसका उद्देश्य अफगानिस्तान को स्थिरता व समृद्धि प्रदान करना है।अफगानिस्तान के सहयोग के लिए स्थापित हार्ट ऑफ एशिया के सदस्य देशों की संख्या 14 है। भारत भी इसका एक सदस्य राष्ट्र है। यह संगठन क्षेत्रीय देशों के बीच संतुलन साधने तथा आपसी सहयोग बढ़ाने का काम भी करता है। इसमें 17 सहयोगी देश और 12 सहायक और अंतरराष्ट्रीय संगठन भी सामिल हैं। वर्ष 2016 का 6वाँ हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन भारत के अमृतसर में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य आंतकवाद को खत्म करना था।

## 03 हरियाणा में विधानसभा कार्य-संचालन नियमों में संशोधन

### चर्चा में क्यों

- हाल ही में, हरियाणा सरकार द्वारा राज्य की 'विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों' के अंतर्गत कई प्रावधानों में संशोधन किया गया है। साथ ही, इनमें कई नए प्रावधान जोड़े भी गए हैं।

### नए नियम तथा उनकी आवश्यकता

- सदन में प्रत्येक बैठक/ अधिवेशन के दौरान, न्यूनतम दो मंत्रियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, जिसका समय-समय पर, कुछ ध्यानाकर्षण प्रस्तावों (Calling Attention Motions) पर होने वाली चर्चा अथवा सदन के अन्य कार्यों के दौरान पालन नहीं किया जाता था।
- विधानसभा सदस्यों द्वारा 'विरोध प्रकट करते हुए सदन में दस्तावेजों को नहीं फाड़ा जाएगा' ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां विपक्ष के सदस्यों द्वारा विरोध के प्रतीक में, सदन में दस्तावेजों की प्रतियां फाड़ दी जाती थीं।

- विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किसी अनुपूरक प्रश्न को 'नियमविरुद्ध' घोषित कर दिया जाएगा, यदि उनके विचार में, (i) कोई प्रश्न, मुख्य प्रश्न अथवा इसके उत्तर से संबंधित नहीं है; (ii) कोई प्रश्न, जानकारी मांगने के बजाय, जानकारी प्रदान करता है; (iii) कोई प्रश्न, किसी राय की पुष्टि या खंडन करने की मांग करता है; और (iv) कोई प्रश्न, सवालों के संबंध में किसी भी नियम का उल्लंघन करता है।
- विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किसी भी प्रश्न पर दो से अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

### 'नेता-प्रतिपक्ष' की नई परिभाषा:

- 'नेता-प्रतिपक्ष' अथवा विपक्ष के नेता (Leader of Opposition) का तात्पर्य, विधानसभा में सत्ताधारी दल अथवा गठबंधन के अलावा सर्वाधिक सदस्यों की संख्या तथा सदन की गणपूर्ति संख्या के बराबर सदस्यों वाले दल के नेता, और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 'नेता-प्रतिपक्ष' के रूप में मान्यता प्राप्त नेता से है। बशर्ते, यदि विधानसभा में 'नेता-प्रतिपक्ष' के रूप में मान्यता पाने हेतु प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक से अधिक दलों के पास सदस्यों की समान संख्या होती है, तो ऐसी स्थिति में, विधानसभा चुनावों में अधिक मत हासिल करने वाले दल को आधिकारिक विपक्ष और उसके नेता के रूप में मान्यता दी जाएगी। यदि प्रतिस्पर्धा करने वाले दलों को विधानसभा चुनावों में समान मत हासिल होने पर 'नेता-प्रतिपक्ष' का पद बारी-बारी से दोनों दलों को सौंपा जाएगा और इसके लिए 'ड्रा' के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा।

## 04 तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट

### चर्चा में क्यों?

- तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र (Indias biggest floating solar power plant) स्थापित किया जाएगा।

### मुख्य बिंदु

- इसके मई में शुरू होने की उम्मीद है, रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट जलाशय में स्थापित किया जा रहा है। यह सौर परियोजना राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) द्वारा कमीशन की जाएगी। लगभग 423 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में 4.5 लाख फोटोवोल्टिक पैनल होंगे।
- यह सौर पैनल जलाशय के 450 एकड़ क्षेत्र को कवर करेंगे और भविष्य में इसका विस्तार किया जा सकता है। एनटीपीसी की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने का उद्देश्य कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करना है और इसकी क्षमता के 30 प्रतिशत तक हरित ऊर्जा उत्पादन में तेजी लाना है।
- 600 मेगावाट क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र (World's Largest Solar Power Plant) मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध (Omkareshwar Dam) पर स्थापित किया जा रहा है। 3,000 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना के 2022-23 तक बिजली उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है।

## 05 रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा

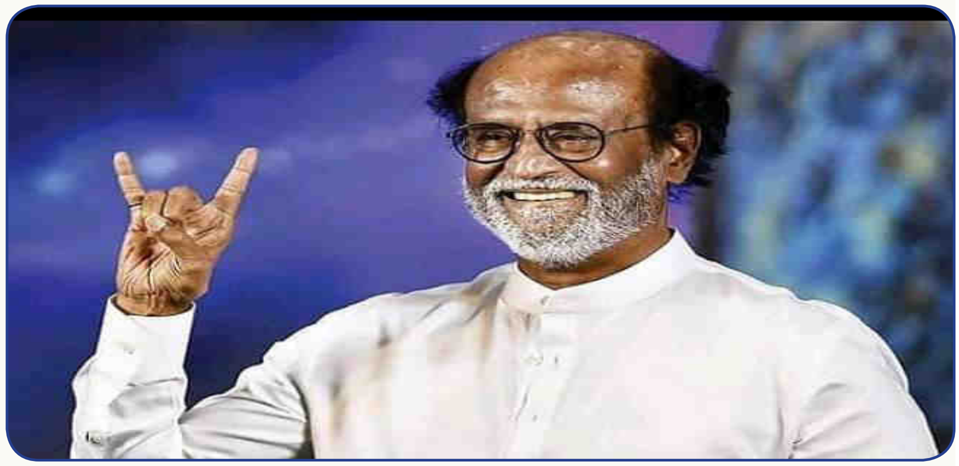

### चर्चा में क्यों?

- दक्षिण भारत के महान अभिनेता सुपर स्टार रजनीकांत को वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार (Dada SahebPhalke Award) से सम्मानित किया जाएगा।

### रजनीकांत

- रजनीकांत का जन्म शिवाजी राव गायकवाड़ (Shivaji Rao Gaekwad) के रूप में 12 दिसंबर 1950 को बैंगलोर में हुआ था। रजनीकांत ने अपनी प्राथमिक शिक्षा बैंगलोर से प्राप्त की। स्कूली शिक्षा पूरी होने पर, उन्होंने बस कंडक्टर के रूप में बैंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में नौकरी की थी। उन्होंने मद्रास अड्यार फिल्म इंस्टीट्यूट में एक अभिनय पाठ्यक्रम शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1975 में अपूर्व रागंगाई से की थी।
- रजनीकांत ने160 से अधिक फिल्मों में काम किया है। उन्होंने बॉलीवुड, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और बंगाली जैसे अन्य भारतीय फिल्म उद्योगों में भी काम किया है। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण (2000) और पद्म विभूषण (2016) से सम्मानित किया गया था।

### दादा साहेब फाल्के पुरस्कार

- यह देश का सर्वोच्च फिल्म सम्मान है। इसे 1969 में सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार की स्थापना 'भारतीय सिनेमा के जनक धुंडिराज गोविंद फाल्के की याद में की गई थी, जिन्हें दादासाहेब फाल्के के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र (1913) का निर्देशन किया।
- पुरस्कार : पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल, एक शॉल और 10 लाख रुपये का नकद पुरस्कार शामिल है। प्रथम प्राप्तकर्त्ता देविका रानी थी।

## 06 वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, 2021

### चर्चा में क्यों

- 30 मार्च, 2021 को विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट (Global Gender Gap Report), 2020 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अंतर्गत जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में 156 देशों को शामिल किया गया है।
- यह सूचकांक 4 क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल का परीक्षण करता है। ये निम्नलिखित हैं-
  - (i) आर्थिक भागीदारी और अवसर (Economic Participation and Opportuntiy)।
  - (ii) शैक्षणिक उपलब्धियां (Educational Attainment)।
  - (iii) स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता (Health and Survival)।
  - (iv) राजनीतिक सशक्तीकरण (Political Empowerment)।

### रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु

- यह सूचकांक 0 से 1 के मध्य विस्तारित है। इसमें 1 का अर्थ पूर्ण लैंगिक समानता तथा 0 का अर्थ पूर्ण लैंगिक असमानता है। इस सूचकांक में आइसलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात फिनलैंड को दूसरा, नॉर्वे को तीसरा, न्यूजीलैंड को चौथा तथा स्वीडन को पांचवां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में निचले क्रम के पांच देश हैं-अफगानिस्तान (156वां स्थान), यमन (155वां), इराक (154वां), पाकिस्तान (153वां), तथा सीरिया (152वां स्थान)।
- इस सूचकांक में भारत 0.625 स्कोर के साथ 140वें स्थान पर है। जबकि गत वर्ष भारत इस सूचकांक में 112वें स्थान पर था। सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश को 65वां, नेपाल को 106वां, चीन को 107वां, श्रीलंका को 116वां, भूटान को 130वां तथा पाकिस्तान को 153वां स्थान प्राप्त हुआ है।
- ब्रिक्स देशों में दक्षिण अफ्रीका 18वें, रूस 81वें, ब्राजील 93वें, चीन 107वें, तथा भारत 140वें स्थान पर रहा।इस सूचकांक में विश्व के अन्य विकसित देशों में जर्मनी 11वें, फ्रांस 16वें, यू.के. 23वें, कनाडा 24वें, यूएसए 30वें, तथा जापान 120वें स्थान पर है।

# 07 स्वास्थ्य का समवर्ती सूची में स्थानांतरण

## चर्चा में क्यों?

- 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हाल ही में स्वास्थ्य को संविधान के तहत समवर्ती सूची (Concurrent List) में स्थानांतरित करने का सुझाव दिया है। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में 'स्वास्थ्य' राज्य सूची (State List) का विषय है।

## पक्ष में तर्क

- स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किये जाने से केंद्र को नियामक परिवर्तनों को लागू करने, बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने और सभी पक्षों के दायित्वों को सुदृढ़ करने के लिये अधिक अवसर मिलेगा।स्वास्थ्य क्षेत्र में अनेक अधिनियमों, नियमों और विनियमों तथा तेजी से उभरने वाली संस्थानों की बहुलता है, फिर भी इस क्षेत्र का विनियमन उचित रूप से नहीं होता है। स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में स्थानांतरित करके कार्यप्रणाली में एकरूपता सुनिश्चित की जा सकती है। केंद्र सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्यों की तुलना में तकनीकी रूप से बेहतर है क्योंकि इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रबंधन के लिये समर्पित अनेक शोध निकायों और विभागों की सहायता प्राप्त है। दूसरी ओर राज्यों के पास व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों को स्वतंत्र रूप से डिजाइन करने की तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है।

## विपक्ष में तर्क

- सभी के लिये सुलभ, सस्ती और पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा के प्रावधान की गारंटी देना न तो आवश्यक है तथा न ही पर्याप्त। स्वास्थ्य का अधिकार पहले ही संविधान के अनुच्छेद 21 के माध्यम से प्रदान किया गया है जो जीवन और राज्य सूची से केंद्र सूची में अधिक विषयों को स्थानांतरित करने से भारत की संघीय प्रकृति दुर्बल होगी।
- केंद्र को अपने अधिकारों का इस प्रकार से इस्तेमाल करना होगा, जिससे राज्यों को उनके संवैधानिक दायित्वों जैसे- सभी के लिये पर्याप्त, सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने में मदद मिल सके। केंद्र के पास पहले से ही अधिक जिम्मेदारियाँ हैं, जिनसे निपटने के लिये वह संघर्ष करता रहता है। अधिक जिम्मेदारियाँ लेने से न तो राज्यों को और न ही केंद्र को अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने में मदद मिलेगी।
- राज्य द्वारा एकत्रित किये जाने वाले करों का 41% हिस्सा केंद्र सरकार को जाता है। केंद्र द्वारा राज्यों को अपेक्षित जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, साथ ही केंद्र को भी स्वयं के संसाधन का उपयोग करके अपने दायित्व को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये। स्वास्थ्य को राज्य सूची का विषय होने के बाद भी इस पर केंद्र के रचनात्मक सहयोग को राज्यों को अपनाना चाहिये।

## एन.के. सिंह के सुझाव

- स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च को वर्ष 2025 तक जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाना। विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सभी राज्यों की एक मौलिक प्रतिबद्धता होनी चाहिये और कम-से-कम दो-तिहाई धनराशि का आवंटन स्वास्थ्य क्षेत्र को किया जाना चाहिये। केंद्र और राज्य दोनों के लिये स्वास्थ्य देखभाल कोड का मानकीकरण करना। अखिल भारतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा का गठन। इस सेवा का गठन चिकित्सा हेतु डॉक्टरों की उपलब्धता में राज्यवार अंतर को देखते हुए करना आवश्यक है, जैसा कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 2ए के तहत परिकल्पित है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा बीमा के महत्त्व पर जोर देना, क्योंकि समाज का एक बड़ा वर्ग अभी भी इसकी पहुँच से दूर है।

## समवर्ती सूची

- भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियाँ यथा-संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची दी गई हैं। उल्लेखनीय है कि संसद तथा राज्य विधानसभा दोनों ही समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकते हैं।इस सूची में मुख्यत: ऐसे विषय शामिल किये गए हैं जिन पर पूरे देश में कानून की एकरूपता वांछनीय है लेकिन यह आवश्यक नहीं है।
- समवर्ती सूची में स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स एवं जहर, बिजली, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण जैसे कुल 52 विषय (मूल रूप से 47 विषय) शामिल हैं। ध्यातव्य है कि वर्ष 1976 के 42वें संशोधन के माध्यम से राज्य सूची के पाँच विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। इन पाँच विषयों में शामिल हैं- (1) शिक्षा (2) वन्यजीवों एवं पक्षियों का संरक्षण (3) वन (4) नाप-तौल (5) न्याय प्रशासन।

# 7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न
## (मुख्य परीक्षा हेतु)

01


04 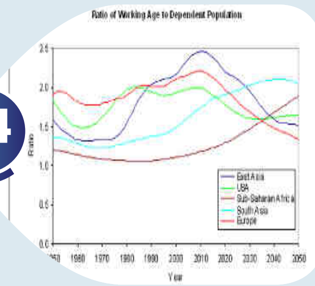


07

**01** राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति को समझाते हुए इसके मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए?

**02** मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की अवधारणा पर चर्चा करते हुए मुद्रास्फीति नियंत्रण, आर्थिक नीति के क्षेत्र में इसके महत्व को समझाए।

**03** चीन द्वारा स्वीकृत ब्रह्मपुत्र मेगा प्रोजेक्ट क्या है और यह भारतीय हित को किस प्रकार प्रभावित करेगी?

**04** देश की ग्रामीण केंद्रित नीतियों के विकास के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश किस प्रकार महत्वपूर्ण है?

**05** भारत–ताइवान संबंधो का विश्लेषण करते हुए इनके मध्य सम्बन्धों के विकास के लिए संभावित तरीकों पर चर्चा कीजिए।

**06** भारत में बाल शोषण की आज भी अधिकता है। बाल शोषण के विरुद्ध किए गए अब तक के प्रयासों का विश्लेषण कीजिए।

**07** भारत में बिटकॉइन की अवधारणा को समझाते हुए बताए कि बिटकॉइन व्यापार में अपराधीकरण को कैसे बढ़ावा देता है?

# 7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु)

01


03


05 पावरग्रिड
Power Grid Corporation of India Limited

**01** 'ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक (GEO) किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है?

*क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच*

**02** कुपोषित बुजुर्गों को पोषण सहायता प्रदान करने के लिए 'पोषण अभियान' किस मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ किया गया?

*सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय*

**03** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है?

*जल शक्ति अभियान "कैच द रेन"*

**04** हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा (International Intellectual Property) का वार्षिक संस्करण जारी किया गया था। भारत बौद्धिक संपदा सूचकांक में 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में कौन सा स्थान पप्राप्त किया है।

*40*

**05** पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नामक केंद्रीय PSU के द्वारा किस –टेंडरिंग पोर्टल की स्थापना की गई?

*PRANIT*

**06** हाल ही में किस इंडियन कोस्ट गार्ड शिप को चेन्नई के कट्टुपल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत द्वारा कमीशन किया गया।

*'वज्र'*

**07** ग्राम उजाला योजना के अंतर्गत 10 रुपए में ग्रामीण क्षेत्रों में दुनिया का सबसे सस्ता स्न्क बल्ब प्रदान करती है। इस योजना का वित्तपोषण

*कार्बन क्रेडिट के आधार पर*

# 7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

01

05

07
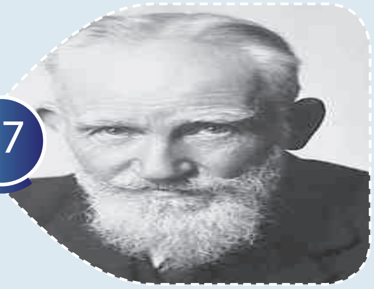

**01** मेरे लिए, नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज नहीं है।

*डॉ ए. पी. जे. अब्दुल कलाम*

**02** जिन्दगी को नहीं, बल्कि एक अच्छी जिन्दगी को महत्ता देनी चाहिए।

*सुकरात*

**03** कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है।

*अल्बर्ट आइंस्टीन*

**04** जब मैं अभ्यास करता हूं, मैं एक दार्शनिक हूं। जब मैं सिखाता हूं, मैं एक वैज्ञानिक हूं जब मैं कर के दिखाता हूं, मैं एक कलाकार हूं।

*बी. के. एस. आयंगर*

**05** जो भी व्यक्ति विकास के लिए खड़ा है उसे हर एक रूढ़िवादी चीज की आलोचना करनी होगी, उसमें अविश्वास करना होगा तथा उसे चुनौती देनी होगी।

*भगत सिंह*

**06** अगर कुछ बेहद जरूरी है, तो भले चीजें आपके खिलाफ हों, फिर भी आपको वो करना चाहिए।

*एलन मस्क*

**07** हर असफलता के साथ मेरी प्रयास और प्रतिष्ठा बढ़ जाती है।

*जॉर्ज बर्नार्ड शा*

most trusted since 2003

## AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

## DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the Institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.


## Face to Face Centres

**DELHI (MUKHERJEE NAGAR)** : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

## Live Streaming Centres

**BIHAR**: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA –9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333, 7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD Quest for Wisdom

Price ₹ 40

# Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

**नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।**

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS most trusted since 2003



**Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009**
**Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400**

# Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
# (ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

**नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |**

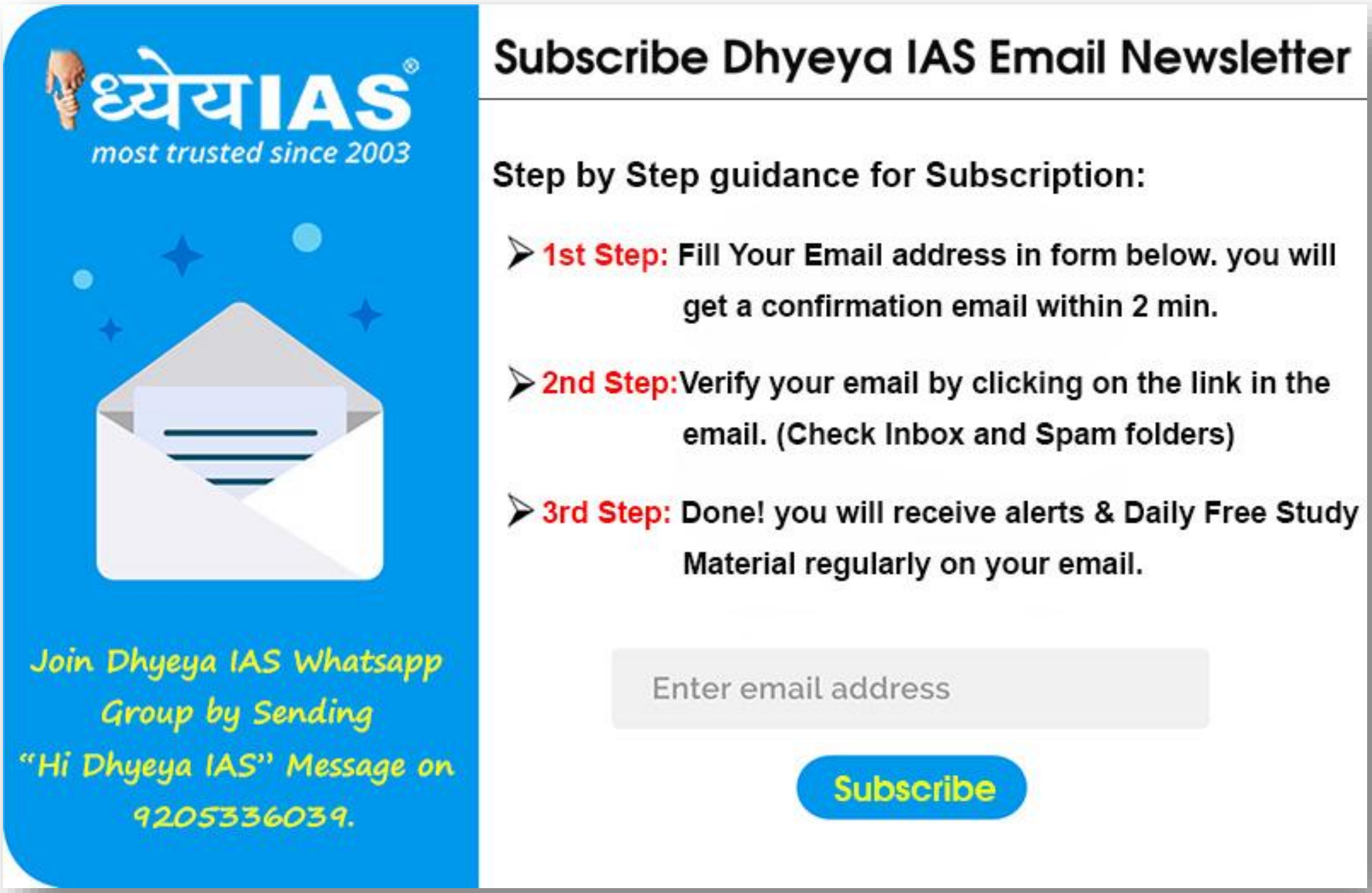


Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

# ADMISSIONS OPEN

## FOR NEW ONLINE BATCH

IAS PRE-CUM-MAINS

PCS

OPTIONAL

HINDI & ENGLISH MEDIUM

Call: 9205962002 9506256789 | Whatsapp: 9205274741 | Visit: dhyeyaias.com